


अध्याय-III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

3.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर कानून एवं उसके अधीन बने नियमों को अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिशनर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिशनर, 157 ज्वाइन्ट कमिशनर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिशनर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिशनर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। 1 जुलाई, 2017 से विभाग राज्य में माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) का प्रशासन भी देख रहा है।

विभागीय संगठनात्मक ढाँचा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक ढाँचा



3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 5,71,634 कर निर्धारण वादों में से 1,05,080 कर निर्धारण वादों (18.40 प्रतिशत) की नमूना जाँच की एवं वाणिज्य कर विभाग के कुल 772 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 256¹ लेखापरीक्षित इकाइयों (33 प्रतिशत) के 2,087 कर निर्धारण वादों (दो प्रतिशत) में अनियमितता देखी गयी। विभाग ने 2016–17 के दौरान ₹ 51,882.88 करोड़ का राजस्व संग्रह किया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 25,111.88 करोड़ (48 प्रतिशत) का संग्रह किया। लेखा परीक्षा ने 2,087 प्रस्तरों में ₹ 252.99 करोड़ की धनराशि के अनियमिताताएँ चिन्हित की जैसा कि लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग को प्रतिवेदित किया गया। ये सारणी 3.1 में वर्णित हैं :

¹ अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन (01), कमिशनर वा0 कर (01), एडी0 कमिशनर (01), ज्वा0 कमि0 (25), खण्ड (208), सचल दल इकाइयाँ (14) एवं प्रशासनिक इकाइयाँ (5) एवं कर वसूली इकाई (01)।

सारणी-3.1

क्र० सं०	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1	कर का अवनिर्धारण	571	55.47	21.93
2	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	26	6.19	2.45
3	खरीद / बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	40	5.39	2.13
4	आईटी०सी० की अनियमित / गलत / अधिक अनुमन्यता	261	33.88	13.39
5	ब्याज का न / कम प्रभारित किया जाना	194	18.38	7.26
6	अर्थदण्ड का अनारोपण	837	112.73	44.56
7	अन्य अनियमितताएं	158	20.95	8.28
योग		2,087	252.99	

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 के दौरान इंगित किये गये 514 मामलों में ₹ 44.87 करोड़ की धनराशि को विभाग ने (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2019 के मध्य) स्वीकार किया। विभाग (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) ने ₹ 6.49 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया, जिसमें से ₹ 2.43 करोड़ के 151 मामले वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित थे एवं अवशेष मामले पूर्व वर्षों के हैं।

यह अध्याय उपरोक्त मामलों में से उनके महत्व के आधार पर ₹ 71.91 करोड़ के 394 मामलों की विवेचना करता है। इस प्रकार के मामले विगत पाँच वर्षों में बार-बार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद इन अनियमितताओं में से कुछ लगातार बनी रहती हैं, जैसा कि सारणी-3.2 में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग अन्य इकाइयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना लेखा परीक्षा में शामिल नहीं किये गये हैं। अतः विभाग / शासन अन्य सभी इकाइयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

सारणी-3.2

प्रेक्षणों की प्रकृति	(₹ करोड़ में)											
	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	
कर की गलत दर का लगाया जाना	95	2.36	75	8.49	132	7.49	35	2.72	24	2.00	361	23.06
पंजीयन प्रमाणपत्र (प०प्र०) से अनाच्छादित वस्तु पर अनियमित छूट की अनुमन्यता	10	1.00	16	1.03	9	0.41	7	0.27	24	3.80	66	6.51
अननुमन्य आईटी०सी०	—	—	15	12.41	21	0.87	15	0.77	20	1.18	71	15.23
माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आईटी०सी० का उत्क्रमित न किया जाना	—	—	—	—	4	0.08	6	0.13	—	—	10	0.21

प्रेक्षणों की प्रकृति	(₹ करोड़ में)											
	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	
व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर कर योग्य माल के क्रय पर आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जाना	10	0.67	—	—	3	0.47	7	0.25	10	1.64	40	3.03
मिथ्या / कपटपूर्ण आई0टी0सी0 का दावा	32	3.59	28	8.62	16	7.45	13	1.54	—	—	89	21.20
ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना	19	0.60	20	0.42	46	5.85	8	2.17	30	1.53	123	10.57
टर्नओवर का छिपाया जाना	55	3.27	61	1.98	31	2.66	23	1.02	—	—	170	8.93
स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना	27	0.99	69	4.95	75	2.37	30	1.45	—	—	201	9.76
स्रोत पर कटौती किये गये कर को विलम्ब से जमा किया जाना	13	2.88	28	8.74	25	8.75	14	2.98	28	8.05	108	31.40

अनियमितताओं की पुनरावृत्तीय प्रकृति यह प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित किये जाने के बाद भी सतत् अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये।

संस्तुति:

विरासत के मू0सं0क0 मामलों का कर निर्धारण अभी प्रक्रिया में है, राज्य सरकार ऐसे मामलों के कालातीत होने से पूर्व, प्रतिवेदित किये गये अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठा सकती है। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि इस स्तर पर राजस्व का अधोषित रिसाव बिना पता लगे ही रह जाये क्योंकि निकट भविष्य में प्रणाली पूर्ण रूप से जी0एस0टी0 प्रशासन पर केन्द्रित रहेगी।

3.3 कर की गलत दर का लगाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 148.62 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, ऐसी वस्तुओं पर लागू दरों को अनुसूची के अनुसार सत्यापित किये बिना, व्यापारियों द्वारा दाखिल कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 12.36 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008, के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुएं अनुसूची I में उल्लिखित हैं तथा वस्तुओं पर लागू कर की दरों के अनुसार कर योग्य वस्तुएं अनुसूची II से IV में उल्लिखित हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त कर के अतिरिक्त, शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 361 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त प्रावधानों का पालन करने में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.06 करोड़ का कर कर कम आरोपित हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रतिक्रिया में समुचित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया है। अभी तक, उपरोक्त में से, लो0ले0स0 में 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है जिसमें विभाग ने ₹ 37.93 लाख की वसूली प्रतिवेदित की है।

51 वार्कोका०² (लेखापरीक्षित 256 वार्कोका० में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 58 व्यापारियों (नमूना जाँच किये गये 23,247 व्यापारियों में से), के मामलों में क०नी०प्रा० ने वर्ष 2008–09 से 2014–15 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2017 के मध्य), ₹ 148.62 करोड़ के माल की बिक्री पर व्यापारियों द्वारा कर विवरणियों में उल्लिखित शून्य से नौ प्रतिशत की कर की दर को स्वीकार किया। क०नी०प्रा० अनुसूची के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर प्रभावी चार से 17.5 प्रतिशत की दर को सत्यापित और आरोपित करने में विफल रहे। इस प्रकार, धनराशि ₹ 12.36 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ (परिशिष्ट-IV)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (नवम्बर 2016 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। अपने उत्तर में (जनवरी/मई 2019), विभाग ने 23 मामलों में ₹ 1.43 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से तीन मामलों में ₹ 19.65 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गयी।

20 मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार नहीं किया। 20 में से 10 मामले जो उनके द्वारा स्वीकार नहीं किये गये, में विभाग का मुख्य विषय वस्तु यह है कि सम्बन्धित क०नी०प्रा० ने कर निर्धारण करते समय अपने प्रारम्भिक आदेश में, टंकण की त्रुटि³ की थी, जिसे उन्होंने लेखा परीक्षा प्रेक्षण प्राप्त होने के पश्चात् ठीक कर लिया। लेखापरीक्षा विभाग से इस प्रकार के प्रतिवेदित कमियों के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह करता है। इन 20 मामलों में शासन के उत्तर का विश्लेषण सारणी 3.3 (i) एवं 3.3 (ii) में सूचीबद्ध है।

सारणी-3.3 (i)

मामले जिनमें विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामलों में कर निर्धारण आदेश में टंकण की त्रुटि का उल्लेख किया है

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाइयाँ/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड-10 आगरा प्रेक्षण : बिना फार्म सी के कैनवास फुटवियर की बिक्री को कन्द्रीय बिक्री में पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखा परीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, पी०वी०सी० फुटवियर के स्थान पर कैनवास फुटवियर टंकित हो गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 15 जून 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 30 सितम्बर 2016 को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश के विभिन्न पृष्ठों पर कैनवास फुटवियर का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं पायी जा सकती है। अग्रेतर व्यापारी ने स्वयं भी अपने वार्षिक विवरणी में इसी वस्तु को शूज के रूप में दर्शाया है, जो कि 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। अग्रेतर विभाग द्वारा पी०वी०सी० फुटवियर की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम के अनुसार शूज/कैनवास फुटवियर पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
2.	खण्ड-11, आगरा (ख) प्रेक्षण : फायर इकिस्टंगिशर की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था। लेखापरीक्षा के	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, पी०वी०सी० पाइप, होज पाइप एवं फिटिंग के स्थान पर, फायर इकिस्टंगिशर का	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 19 सितम्बर 2016 को पारित किये गये प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण आदेश के विभिन्न पृष्ठों पर फायर इकिस्टंगिशर की बिक्री प्रदर्शित की गयी थी। एक टंकण की

² वार्कोका० का नाम, कर की दर एवं अन्य विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

³ बार-बार की गयी त्रुटियाँ कर निर्धारण आदेश में वस्तु के विवरण से सम्बन्धित हैं।

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
	अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं हो सकती है। अग्रेतर, व्यापारी ने स्वयं ही अपने वार्षिक विवरणी में इस वस्तु को फायर इक्स्टंगिशर दर्शाया है। अग्रेतर विभाग द्वारा पी०वी०सी० पाइप, होज पाइप एवं फिटिंग की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ०प्र०म०स०क० अधिनियम के अनुसार फायर इक्स्टंगिशर पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
3.	खण्ड-2 औरैया प्रेक्षण : कम्प्यूटर एवं इसके पार्ट्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया एवं करारोपण किया गया था। इसके स्थान पर 13.5 एवं 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण खरीद एवं बिक्री की सूची के अनुलग्नक में, कम्प्यूटर पार्ट्स का उल्लेख कर दिया गया था। खरीद एवं बिक्री के संशोधित अनुलग्नक दाखिल किये जा रहे हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये अभिलेख के अनुसार, उनके त्रैमासिक विवरणी एवं खरीद सूची एवं विक्रय सूची दोनों में, कम्प्यूटर पार्ट्स का उल्लेख किया गया था एवं कर निर्धारण के समय क०नि०प्रा० द्वारा स्वीकार किया गया था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई प्रावधान नहीं दर्शाया गया था जिसके द्वारा क०नि०प्रा० प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश के पश्चात् संशोधित अनुलग्नक स्वीकार कर सकता हो।
4.	खण्ड-2 गाजियाबाद (क) प्रेक्षण : कर निर्धारण आदेश में बिना फार्म 'सी' के इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स की केन्द्रीय बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, वाइन्डिंग वायर एवं स्ट्रिप्स आदि के स्थान पर, इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत 1 अगस्त 2017 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये वार्षिक विवरणी में वस्तु के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। क०नि०प्रा० द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2016 एवं 10 जनवरी 2017 को दोनों कर निर्धारण आदेश को पारित करते समय इसे स्पष्ट कर दिया गया था। कर निर्धारण आदेश के विभिन्न पृष्ठों पर इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स का उल्लेख किया गया था। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं हो सकती है। अग्रेतर, विभाग द्वारा वाइन्डिंग वायर एवं स्ट्रिप्स इत्यादि की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ०प्र०म०स०क० अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
5.	खण्ड-2 गाजियाबाद (ख) प्रेक्षण : कर निर्धारण आदेश में बिना फार्म 'सी' के स्कूटर पार्ट्स की केन्द्रीय बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, एच०डी० पी०ई० क्लाथ के स्थान पर, स्कूटर पार्ट्स का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत 19 मई 2017	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा अपने वार्षिक विवरणी में दाखिल किये गये अभिलेखों में, वस्तु के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते समय अनेक पृष्ठों पर इसको स्पष्ट कर दिया गया था। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
	लेखापरीक्षा के अनुसार इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	को संशोधित कर दिया गया है।	नहीं हो सकती है। अग्रेतर विभाग द्वारा एच०डी०पी०ई० की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ०प्र०म०स०क० अधिनियम के अनुसार स्कूटर पार्ट्स पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
6.	खण्ड-29 कानपुर प्रेक्षण : कर निर्धारण आदेश में वार्निंश की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, केमिकल एवं मिनरल के स्थान पर, वार्निंश का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये वार्षिक विवरणी में, वस्तु के नाम को दर्शाया नहीं गया। क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते समय इसे स्पष्ट कर दिया गया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यापारी पेन्ट, वार्निंश एवं एडहेसिव का व्यापार करते हैं। आदेश में वार्निंश की बिक्री किये जाने का उल्लेख कई बार किया गया है। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं हो सकती है। अग्रेतर विभाग द्वारा केमिकल एवं मिनरल की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार उ०प्र०म०स०क० अधिनियम के अनुसार वार्निंश पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
7.	खण्ड-13, लखनऊ प्रेक्षण : कर निर्धारण आदेश में फूड सप्लीमेन्ट की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, मसाले एवं कस्टर्ड के स्थान पर मेडिसिन एवं फूड सप्लीमेन्ट लिख दिया गया था, जो कि क्रमशः अनुसूची-II (चार प्रतिशत) एवं V (12.5 प्रतिशत) की दर से करयोग्य है। इस प्रकार, व्यापारी फूड सप्लीमेन्ट की बिक्री करते हुए नहीं पाये गये हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। 23 जनवरी 2017 को पारित किये गये प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश में विभिन्न पृष्ठों पर फूड सप्लीमेन्ट की बिक्री दर्शायी गयी थी। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं हो सकती है। अग्रेतर, यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी ने स्वयं ही अपने वार्षिक विवरणी में इस वस्तु को फूड आइटम दर्शाया था। अग्रेतर, विभाग द्वारा मसाले एवं कस्टर्ड की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ०प्र०म०स०क० अधिनियम के अनुसार फूड सप्लीमेन्ट पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
8.	खण्ड-3 सुल्तानपुर (क) प्रेक्षण : कर निर्धारण आदेश में मशीनरी पार्ट्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखा परीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की	व्यापारी ने गलत विवरणी दाखिल की थी, जिसमें मोनो ब्लाक सबमर्सिवल पम्प, इत्यादि के स्थान पर मशीनरी एवं प्लाण्ट दर्शाया गया था। इसी कारण, कर निर्धारण आदेश में मशीनरी एवं	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों के अनुसार, प्लाण्ट एवं मशीनरी का उल्लेख किया गया था एवं इसे क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण के समय भी स्वीकार किया गया था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा को कोई ऐसा प्रावधान नहीं दर्शाया गया था जिसके द्वारा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
	दर से करारोपण होना चाहिए था।	प्लाणट दर्शाया गया था, जिसे व्यापारी द्वारा सही विवरणी दाखिल करने पर धारा 31 के अन्तर्गत संशोधित कर दिया गया है।	पारित किये जाने के पश्चात् क०नि०प्रा० संशोधित विवरणी स्वीकार कर सकता हो।
9.	खण्ड-3 सुल्तानपुर (ख) <u>प्रेक्षण :</u> कर निर्धारण आदेश में सेट टाप बाक्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 13.5 एवं 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, सेट टाप बाक्स यूजर चार्जर के स्थान पर, सेट टाप बाक्स की बिक्री लिखा गया था। व्यापारी सेट टाप बाक्स की बिक्री नहीं कर रहे हैं अपितु राइट टू यूज के अन्तर्गत सेट टाप बाक्स यूजर चार्जर पर कर अदा कर रहे हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर निर्धारण आदेशों की एक श्रृंखला दिनांक 1 जुलाई 2014, 31 जुलाई 2014 एवं 29 दिसम्बर 2016 में सेट टाप बाक्स की बिक्री का विशिष्ट सन्दर्भ दर्ज किया गया है। एक टंकण की त्रुटि सभी कर निर्धारण आदेश की अवधि 2014 से 2016 तक में नहीं पायी जा सकती है। अग्रेतर, व्यापारी ने अपने वार्षिक विवरणी में स्वयं ही इस वस्तु को सेट टाप बाक्स की तरह दर्शाया था। अग्रेतर, विभाग द्वारा राइट टू यूज के अन्तर्गत सेट टाप बाक्स यूजर चार्जर पर कर अदा करने से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम के अनुसार सेट टाप बाक्स पर 13.5 एवं 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
10.	खण्ड-8, वाराणसी <u>प्रेक्षण :</u> कर निर्धारण आदेश में फर्नीचर की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, प्लाइवुड के स्थान पर, फर्नीचर का उल्लेख कर दिया गया था। व्यापारी ने संशोधित विवरणी दाखिल की है, जिसमें प्लाइवुड एवं फर्नीचर की बिक्री को अलग—अलग दर्शाया गया है। एक संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों के अनुसार, विवरणी में फर्नीचर की बिक्री का उल्लेख किया गया था एवं क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते समय इसे स्वीकार भी किया गया था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा को कोई ऐसा प्रावधान नहीं दर्शाया गया था जिसके द्वारा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् क०नि०प्रा० संशोधित विवरणी स्वीकार कर सकता हो। उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 11 अक्टूबर 2012 के अनुसार, प्लाइवुड पर भी 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।

सारणी—3.3(ii)
मामले जिनमें विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड—11 आगरा (क) <u>प्रेक्षण :</u> कर निर्धारण आदेश में कम्प्यूटर पार्ट्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि कम्प्यूटर पार्ट्स अनुसूची—II पार्ट—बी के क्र0 सं0—22 के अन्तर्गत पाँच प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कम्प्यूटर पार्ट्स पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देयता 20 दिसम्बर 2014 से प्रभावी है। लेखा परीक्षा प्रेक्षण कर निर्धारण वर्ष 2013—14 से सम्बन्धित है, जब कम्प्यूटर पार्ट्स 12.5 प्रतिशत एवं अतिरिक्त कर उस अवधि में कर योग्य थे।
2.	ज्वारो कमिं0 (का0स0) <u>इलाहाबाद</u> <u>प्रेक्षण :</u> कर निर्धारण आदेश में कॉपर कन्डक्टर की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा है कि व्यापारी कॉपर से निर्मित कान्टेक्ट वायर का निर्माण करते हैं।	विभाग के उत्तर का यह आधार कि वस्तु कान्टेक्ट वायर है, लेखापरीक्षा को इस तथ्य के आलोक में स्पष्ट नहीं है कि व्यापारी ने स्वयं ही अपने वार्षिक विवरणी में कहा है कि वस्तु कॉपर कन्डक्टर है। अग्रेतर, कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित करते समय विशिष्ट रूप से कहा है कि वस्तु कॉपर कन्डक्टर है। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार कॉपर कन्डक्टर पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
3.	खण्ड—4 गाजियाबाद <u>प्रेक्षण :</u> व्यापारी ने मिट्टी के मूल्य के बदले में ₹ 390.28 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, जिस पर कोई कर आरोपित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने, अपने उत्तर में, कहा कि व्यापारी द्वारा प्राप्त सभी भुगतान लेबर एवं भाड़ा से सम्बन्धित है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा मिट्टी की कोई खरीद नहीं की गयी थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि व्यापारी ने ₹ 390.28 लाख का भुगतान मिट्टी की बिक्री किये जाने से प्राप्त किया था, जिस पर कर आरोपित नहीं किया गया था। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार मिट्टी पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देय है।
4.	खण्ड 6, गाजियाबाद <u>प्रेक्षण :</u> कर निर्धारण आदेश में मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने, अपने उत्तर में, कहा है कि वी—बेल्ट (मशीनरी पार्ट्स) अनुसूची—II के अन्तर्गत कमोडिटी कोड के अनुसार पाँच प्रतिशत की दर से वर्गीकृत किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये विवरणी एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दोनों में मशीनरी पार्ट्स का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार मशीनरी पार्ट्स पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
5.	खण्ड—8 गाजियाबाद <u>(क)</u> <u>प्रेक्षण :</u> कर निर्धारण आदेश में मिल बोर्ड की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि धारा 59 के अन्तर्गत कमिशनर के निर्णय के अनुसार, मिल बोर्ड पाँच प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल पर कर का आरोपण कानून के प्राधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। कमिशनर का निर्णय उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार मिल बोर्ड पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय है।

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
6.	<p>खण्ड-8 गाजियाबाद (ख)</p> <p>प्रेक्षण :</p> <p>कर निर्धारण आदेश में स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर की बिक्री नहीं किया था। उसकी जगह, केवल केमिकल की बिक्री थी एवं पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।</p>	विभाग ने कहा है कि व्यापारी ने स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर की बिक्री नहीं किया था। उसकी जगह, केवल केमिकल की बिक्री की थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये विवरणी एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दोनों में स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर का विशिष्ट उल्लेख है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
7.	<p>खण्ड-10 गाजियाबाद (ख)</p> <p>प्रेक्षण :</p> <p>कर निर्धारण आदेश में स्क्रैप की बिक्री चार प्रतिशत की दर से दर्शायी गयी थी। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।</p>	विभाग ने कहा है कि व्यापारी एम0 एस0 स्क्रैप की बिक्री कर रहे हैं जो कि चार प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये विवरणी एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दोनों में स्क्रैप का विशिष्ट उल्लेख है। अग्रेतर व्यापारी प्लाण्ट एवं मशीनरी के निर्माता हैं। इस प्रकार व्यापारी उपरोक्त उत्पाद के स्क्रैप की बिक्री कर रहे हैं। इसलिए उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार उत्पाद पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देय है।
8.	<p>खण्ड-21 कानपुर</p> <p>प्रेक्षण :</p> <p>कर निर्धारण आदेश में टॉफी की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।</p>	विभाग ने कहा कि टॉफी अनुसूची-IIए क्र0सं0-137 के अन्तर्गत वर्गीकृत है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी परफेटी ब्राण्ड के टॉफी जैसे कि मेन्टास, एल्पेनलीबे आदि की बिक्री करते हैं। इन ब्रान्डेड टॉफियों में 70 प्रतिशत से कम शुगर होता है। केवल वे टॉफियां जिनमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शुगर, 25 प्रतिशत लिकिवड ग्लूकोज एवं पाँच प्रतिशत एसेन्स कलर का मिश्रण हो, वो ही कही गयी अनुसूची के अन्तर्गत आयेंगी जैसे कि लेमनचूस, लालीपाप इत्यादि। इसलिए उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार परफेटी ब्राण्ड की टॉफी पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
9.	<p>खण्ड-2, कासगंज</p> <p>प्रेक्षण :</p> <p>कर निर्धारण आदेश में टॉफी की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।</p>	विभाग ने कहा कि धारा 59 के अन्तर्गत कमिशनर निर्णय के अनुसार कैण्डी (टॉफी) जिसमें 70 प्रतिशत शुगर हो वह अनुसूची-II के अन्तर्गत आयेंगी जैसे कि लेमनचूस, लालीपाप इत्यादि।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी आई0टी0सी0 लिमिटेड के उत्पाद जैसे कि कैण्डीमैन, इक्लेर्यस, जेलीमाल्स इत्यादि की बिक्री करते हैं। इन ब्रान्डेड टॉफियों में 70 प्रतिशत से कम शुगर होता है। केवल वे टॉफियाँ जिनमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शुगर, 25 प्रतिशत लिकिवड ग्लूकोज एवं पाँच प्रतिशत एसेन्स कलर का मिश्रण हो, वो ही कही गयी अनुसूची के अन्तर्गत आयेंगी जैसे कि लेमनचूस, लालीपाप इत्यादि। कैण्डीमैन, इक्लेर्यस, जेलीमाल्स इत्यादि जैसे आई0टी0सी0 लिमिटेड के उत्पाद पर उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
			अन्तर्गत 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय है।
10.	खण्ड-17, लखनऊ प्रेक्षण : कर निर्धारण आदेश में स्क्रैप की बिक्री को चार प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि धारा 28 सपष्टित धारा 32 के अन्तर्गत 16 नवम्बर 2018 को पुनर्करनिर्धारण किया गया था जिसमें व्यापारी स्क्रैप के कुल ₹ 235.93 लाख के बिक्री में से चार प्रतिशत की दर से कर योग्य ₹ 229.83 लाख के एमोएस0 स्क्रैप तथा ₹ 2.21 लाख के पाँच प्रतिशत की दर से कर योग्य स्क्रैप की बिक्री किये जाते पाये गये थे।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये किये विवरणी एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दोनों में प्लास्टिक एवं ग्लास के स्क्रैप का विशिष्ट उल्लेख है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार प्लास्टिक एवं ग्लास के स्क्रैप की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देय है।

अवशेष ₹ 59.30 लाख की धनराशि के 15 मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

वार्षिकों को उन मामलों में जहाँ कर की गलत दर लगाये जाने के लिए टंकण की त्रुटि को कारण कहा गया है, सर्तकता के दृष्टिकोण से जाँच शुरू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.4 केन्द्रीय बिक्री कर (केबिको)

3.4.1 कर की अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने □ 55.97 करोड़ के स्टाक ट्रांसफर पर ₹ 2.80 करोड़ की अनियमित छूट अनुमन्य की जबकि व्यापारी प्रेषण के प्रमाण के साथ वांछित घोषणा-पत्र फार्म 'एफ' दाखिल करने में विफल रहा था।

केबिको⁴ अधिनियम के अन्तर्गत, जहाँ कोई व्यापारी यह दावा करता है कि, वह किसी माल के सम्बन्ध में, कर देने का दायी इस आधार पर नहीं है कि, एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल का संचलन उसके द्वारा यथास्थिति, उसके व्यापार के किसी अन्य स्थान को या उसके अभिकर्ता या स्वामी को ऐसे माल के अन्तरण के फलस्वरूप हुआ है, न कि विक्रय के फलस्वरूप, वहाँ पर यह प्रमाणित करने का भार कि उस माल का संचलन इस भाँति हुआ था, व्यापारी पर होगा और इस प्रयोजन के लिये वह, यथास्थिति, व्यापार के अन्य स्थान के प्रधान अधिकारी या उसके अभिकर्ता या मालिक द्वारा सम्यक रूप से भरी गई और हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें विहित विशिष्टियाँ विहित अधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारूप में कर निर्धारण प्राधिकारी को विहित समय के भीतर ऐसे माल के भेजने के साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेगा। यदि व्यापारी ऐसा घोषणापत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो, ऐसे माल का संचलन इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रयोजनों के लिये यह माना जायेगा कि बिक्री के परिणामस्वरूप घटित हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा था कि माल के सभी प्रकार के अन्तरण जो कि बिक्री से भिन्न प्रकार से हुये हों, के लिये फार्म 'एफ' दाखिल किया

⁴ धारा 6क (1)

जाना आवश्यक है (मेसर्स अम्बिका स्टील्स लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के 2008 की सिविल अपील सं0 4970 निर्णीत दिनांक 31 मार्च 2009)।

खण्ड-1 फिरोजाबाद के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में (जून 2017), लेखापरीक्षा ने देखा कि एक व्यापारी के मामले में (803 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) क0नि0प्रा0, ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 के लिये कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (फरवरी 2016 एवं मार्च 2017 के मध्य) ₹ 55.97 करोड़ के माल का एक राज्य से अन्य राज्य को किये गये स्टाक ट्रांसफर पर ₹ 2.80 करोड़ की अनियमित छूट अनुमन्य की थी, जबकि व्यापारी अपने दावे को सिद्ध करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक घोषणा पत्र फार्म 'एफ' के साथ प्रेषण के प्रमाण को क0नि0प्रा0 के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा था। विवरण सारणी 3.4 में अंकित हैं।

सारणी-3.4 कर की अनियमित छूट

(₹ करोड़ में)							
क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	माल का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय कर की दर ¹ (प्रतिशत)	कर
1	डिंक0 खण्ड-1 फिरोजाबाद	1	2012–13 (फरवरी–2016)	जैकेट्स, द्राउर्जर्स आदि	29.23	5	1.46
			2013–14 (मार्च–2017)	जैकेट्स, द्राउर्जर्स आदि	26.74	5	1.34
	योग	1			55.97		2.80

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (जुलाई 2017) को प्रतिवेदित किया। विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी/मई 2019), में बताया कि धारा 17 के अन्तर्गत, व्यापारी पर कोई कर का दायित्व नहीं है और माल का निर्माण केवल रक्षा उद्देश्यों के लिये किया गया था। व्यापारी द्वारा कोई खरीद/बिक्री नहीं की गई है। अतएव, यह धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के आधार पर इस संव्यवहार के लिये व्यापारी को फार्म 'एफ' प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 17 मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों के पंजीयन के लिये है। यह धारा व्यापारी को किसी प्रकार की छूट की अनुमन्यता नहीं प्रदान करती है। जैसा कि कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट है, व्यापारी माल की खरीद–बिक्री का व्यापार करता है। अतएव, व्यापारी को स्टाक ट्रांसफर के लिये छूट का दावा करने के लिये, फार्म 'एफ' प्रस्तुत करना अनिवार्य था जो कि ऊपर उद्धृत किये गये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी समर्थित है।

संस्तुति:

वा0क0वि0 को चाहिये कि वह ऐसे समस्त मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करे जिसमें कि क0नि0प्रा0 द्वारा इस प्रकार की छूटें अनुमन्य की गई हों।

3.4.2 पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0) से अनाच्छादित माल पर अनियमित रियायत की अनुमन्यता

व्यापारियों ने घोषणा पत्र फार्म 'सी' के विरुद्ध कर की रियायती दर से ₹ 6.81 करोड़ के मूल्य का माल क्रय किया जो कि उनके पं0प्र0 से आच्छादित नहीं था। कर निर्धारण के समय इस तथ्य की संवीक्षा न किये जाने से ₹ 1.05 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत⁵ एक पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर से फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर से कोई माल की खरीद कर सकता है। के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत⁶ यदि उससे सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र ऐसे माल को आच्छादित नहीं करता है, तो व्यापारी अभियोजन का पात्र होगा। तथापि, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी इसे उचित समझे, तो, वह अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2012–13 से 2016–17 में 66 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.51 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उपरोक्त में से, अब तक, 2012–13 के प्रतिवेदन की लो0ले0स0 में चर्चा हुई है जिसमें कि विभाग ने ₹ 21.56 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया था।

लेखापरीक्षा ने 13 वार्षिकों (256 लेखापरीक्षित वार्षिकों में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2017 एवं दिसम्बर 2017 के मध्य)। इसमें देखा कि 14 व्यापारियों ने (3,710 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 6.81 करोड़ मूल्य के माल की खरीद फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर से की थी। तथापि, खरीदा गया माल उनके सम्बन्धित पं0प्र0 से आच्छादित नहीं था जिसके लिये वे अभियोजन के स्थान पर, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे। क0नि0प्रा0 ने अक्टूबर 2015 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय सुसंगत पं0प्र0 और प्रश्नगत व्यापारियों के फार्म 'सी' के उपयोग के ब्यौरों की संवीक्षा नहीं की एवं परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हो सका (परिशिष्ट-V)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मार्च 2017 एवं जनवरी 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों में विभाग ने बताया कि (जनवरी/मई 2019) 11 मामलों में ₹ 92.29 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है जिसमें से, दो मामलों में, ₹ 4.49 लाख की वसूली प्रतिवेदित थी। दो मामलों में विभाग के उत्तर की समीक्षा की गई और स्वीकार्य योग्य नहीं पायी गयी, जैसा कि सारणी 3.5 में विस्तृत रूप से विश्लेषित है।

⁵ केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956 की धारा 8।

⁶ के0बि0क0 अधिनियम की धारा 10।

सारणी 3.5
मामले जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड-9 गाजियाबाद <u>प्रेक्षण:</u> पं0प्र० के अनुसार व्यापारी बिटूमिन की फार्म 'सी' के विरुद्ध कर की रियायती दर से खरीद के लिये अधिकृत नहीं हैं। इसलिये, वह देय कर के ढेढ़ गुने अर्थदण्ड भुगतान के दायी है।	विभाग ने बताया कि व्यापारी बिटूमिन की खरीद के लिये अपने पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र०) में अधिकृत है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये पं0प्र० के ब्यौरों के अनुसार व्यापारी बिटूमिन की रियायती दर से खरीद के लिये अधिकृत नहीं थे। अतः अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिये था।
2.	खण्ड-2 शाहजहाँपुर <u>प्रेक्षण:</u> पं0प्र० के अनुसार व्यापारी जनरेटर, मशीनरी कम्प्रेशर प्लेट एवं एलीवेटर की फार्म सी के विरुद्ध कर की रियायती दर से खरीद के लिये अधिकृत नहीं हैं। इसलिये, वह देय कर के ढेढ़ गुने अर्थदण्ड भुगतान के दायी हैं।	विभाग ने बताया कि व्यापारी विद्युत सामग्री की खरीद के लिये अपने पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र०) में पंजीकृत है। इसलिये, जनरेटर, मशीनरी, कम्प्रेशर प्लेट एवं एलीवेटर विद्युत सामग्री के अन्तर्गत आती हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जनरेटर, ⁷ मशीनरी, कम्प्रेशर प्लेट एवं एलीवेटर विद्युत सामग्री की श्रेणी में नहीं आती हैं। यह वस्तुयें मशीनरी की श्रेणी में आती हैं।

शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

वा0क0वि0 यह सुनिश्चित करे कि कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय पं0प्र० एवं उपयोग प्रमाण पत्रों, जहाँ क0निप्रा0 ऐसी रियायतों पर विचार करते हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।

3.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित अनियमिततायें

विभाग के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में 2009–10 से 2014–15 की अवधि में 54 वा0क0का0 के 66 व्यापारियों के मामलों में आई0टी0सी0 दावों से सम्बन्धित अनियमितताओं जैसे, व्यापारियों को अनुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता, अधिक दावे, आई0टी0सी0 के उत्क्रमित न किये जाने, अर्थदण्ड का आरोपण न किये जाने एवं उस पर ब्याज को प्रभारित न किये जाने आदि के ₹ 14.32 करोड़ धनराशि के मामले पाये। इन मामलों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया गया है।

3.5.1 व्यापारियों को अनुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता

व्यापारियों ने ₹ 64.88 लाख की धनराशि की आई0टी0सी0 का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जिसे कि क0निप्रा0 द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.01 करोड़ की आई0टी0सी0 ब्याज सहित अनुक्रमित रही।

उ0प्र०म०सं०क० अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत⁸ पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिये कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ राज्य के भीतर व्यापारियों को कर बीजकों के विरुद्ध राज्य के पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे माल पर अदा किये गये कर अथवा अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये माल पर नकद जमा किये गये कर का लाभ उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक

⁷ कमिश्नर व्यापार कर बनाम अल्मेक इन्जीनियर्स के वाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का निर्णय।

⁸ उ0प्र०म०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 13।

आईटी०सी० के रूप में अनुमन्य है। अग्रेतर⁹ यदि कोई व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण रीति से आईटी०सी० का दावा किया है तो आईटी०सी० का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित होगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2013–14 से 2016–17 में 71 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के पालन में क०नि०प्रा० की असफलता को उजागर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.23 करोड़ की आईटी०सी० उत्क्रमित नहीं की गई थी। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

लेखापरीक्षा ने (जनवरी 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) 24 वा०क०का० (256 लेखापरीक्षित वा०क०का० में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की। इसमें देखा कि 9,855 व्यापारियों में से 27 व्यापारियों की नमूना जाँच में वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान ₹ 64.88 लाख की आईटी०सी० का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जो कि उन्हें अनुमन्य नहीं था। क०नि०प्रा० को अपेक्षित था कि वे मार्च 2015 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस गैर-अनुमन्य आईटी०सी० को उत्क्रमित करते एवं व्यापारियों को अनुत्क्रमित आईटी०सी० की राशि को साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देते, जो कि उत्क्रमित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.01 करोड़ (आईटी०सी० ₹ 0.65 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.36 करोड़) की आईटी०सी० का ब्याज सहित उत्क्रमण नहीं हुआ (परिशिष्ट-VI)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (फरवरी 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 13 मामलों में ₹ 36.32 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया, जिसमें से सात मामलों में ₹ 15.35 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई। सात मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। विभाग द्वारा न स्वीकार किये गये सात में से पाँच मामलों में विभाग का मुख्य कथन यह था कि सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण आदेश पारित करते समय टंकण की त्रुटियाँ¹⁰ अपने आरभिक आदेशों में की थीं, जिसको कि उनके द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्राप्त करने के बाद उन्हें सही कर दिया गया। लेखापरीक्षा विभाग से आग्रह करता है कि वह इस प्रकार की चूकों के लिये जवाबदेही निर्धारित करे। इन सात मामलों में शासन/विभाग के उत्तरों का विश्लेषण सारणी 3.6 (i) एवं सारणी 3.6 (ii) में सूचीबद्ध है।

सारणी 3.6 (i)

मामले जहाँ विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामलों में टंकण की त्रुटियाँ होने का उल्लेख किया है।

क्र० सं०	लेखा-परीक्षित इकाई/ संक्षेप में प्रेक्षण	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड-15, आगरा प्रेक्षण: व्यापारी द्वारा प्रस्तुत खरीद सूची के अनुसार करमुक्त वस्तु (कोई कर नहीं) अर्थात्-कलाथ पर आईटी०सी० का दावा किया जा रहा है। अतः, व्यापारी द्वारा करमुक्त वस्तु कलाथ की खरीद पर दावाकृत आईटी०सी० को उत्क्रमित किया जाना चाहिये।	टंकण की त्रुटि के कारण अपने मासिक विवरणी में, अपनी खरीद की सूची में कलाथ की खरीद प्रदर्शित की थी, तथापि, व्यापारी द्वारा करयोग्य वस्तु की खरीद पर ही आईटी०सी० का दावा किया गया है।	कलाथ एक करमुक्त वस्तु है जिस पर मू०सं०क० की देयता नहीं है। अतः कलाथ की खरीद पर अधिक आईटी०सी० का लाभ दिये जाने का आधार स्पष्ट नहीं है। व्यापारी के अभिलेखों के परीक्षण से प्रत्येक मास की खरीद सूची के विवरण में 'कलाथ' की खरीद इंगित/संदर्भित है। अतः टंकण की त्रुटि सम्बन्धी उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

⁹ धारा 14(2)।

¹⁰ खरीद की त्रुटिपूर्ण सूची प्रस्तुत की गई थी, अनुमन्य आई.टी.सी. की उच्च दर को न्यूनतम धनराशि प्रदर्शित की गई थी, मिथ्या आई.टी.सी. अग्रेनीत की गई थी, आदि।

क्र० सं०	लेखा-परीक्षित इकाई/ संक्षेप में प्रेक्षण	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
2.	खण्ड-18 आगरा (ख) प्रेक्षण: गणना में हई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई०टी०सी० को अनुमन्य करते समय, अधिक आई०टी०सी० अनुमन्य की गई।	टंकण की त्रुटि के कारण, जूस की खरीद ₹ 25.76 लाख के स्थान पर ₹ 60.54 लाख एवं कोल्ड ड्रिंक्स की खरीद ₹ 60.54 लाख के स्थान पर ₹ 25.76 लाख प्रदर्शित की गई थी जिसे कि धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसाकि व्यापारी ने, अपने वार्षिक विवरणी में, खरीदों का विभाजन नहीं दिया है। खरीद का विभाजन दिया जाना उ०प्र०म०सं०क० नियमावली के अन्तर्गत अनिवार्य है। दिनांक 28 अक्टूबर 2015 को कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय और कर निर्धारण आदेश पारित करते समय खरीद के विभाजन को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था।
3.	खण्ड-3 गोरखपुर प्रेक्षण: गणना में हई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई०टी०सी० को अनुमन्य करते समय, अधिक आई०टी०सी० अनुमन्य की गई।	टंकण की त्रुटि के कारण, सीमेण्ट शीट की खरीद ₹ 77.05 लाख के स्थान पर ₹ 46.60 लाख एवं आयरन शीट की खरीद ₹ 1600.30 लाख के स्थान पर ₹ 1630.74 लाख प्रदर्शित की गई थी। इसे धारा 31 के अन्तर्गत संशोधित कर लिया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। व्यापारी ने, अपने वार्षिक विवरणी में, खरीदों का विभाजन नहीं दिया है। खरीद का विभाजन दिया जाना उ०प्र०म०सं०क० नियमावली के नियम 45 के उपनियम (7) के अनुसार अनिवार्य है। दिनांक 11 जनवरी 2017 को कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय एवं पारित करते समय खरीद के विभाजन को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था।
4.	खण्ड-20 लखनऊ प्रेक्षण: गणना में हई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई०टी०सी० को अनुमन्य करते समय, अधिक आई०टी०सी० अनुमन्य की गई।	टंकण की त्रुटि के कारण ₹ 6.09 लाख की आई०टी०सी० अनुमन्य की गई एवं ₹ 2.89 लाख की आई०टी०सी० अग्रेनीत की गई थी, जो कि कर निर्धारण आदेश में वार्षिक विवरणी के अनुसार थी, जिसे कि दिनांक 6 मार्च 2017 को धारा 31 के अन्तर्गत संशोधित करते हुए ₹ 3.20 लाख की आई०टी०सी० अनुमन्य की गई एवं शन्य आई०टी०सी० अग्रेनीत की गई थी।	जबकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, उत्तर इस तथ्य का उल्लेख नहीं करता कि ब्याज सहित आई०टी०सी० को उत्क्रमित कर्यों नहीं किया गया। वर्ष 2012–13 के कर निर्धारण वर्ष के लिये धारा 31 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश में संशोधन दि० 6 मार्च 2017 को किया गया। तब तक व्यापारी ने अगले कर निर्धारण वर्षों के लिये अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तृत कर दिया है एवं क०नि०प्रा० द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये कर निर्धारण आदेश पारित करते समय अधिक निर्धारित आई०टी०सी० का दावा कर लिया था। उ०प्र० म०सं०क० अधिनियम/नियमावली कर निर्धारण के समय व्यापारी को अधिक लाभ दी गई आई०टी०सी० को व्याज सहित मांग निकाले जाने की अपेक्षा करता है।
5.	खण्ड-6 मेरठ प्रेक्षण: गणना में हई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई०टी०सी० को अनुमन्य करते समय, अधिक आई०टी०सी० अनुमन्य की गई।	टंकण की त्रुटि के कारण ₹ 16.98 लाख के गैस स्टोव की खरीद का विस्तृत खरीद की सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया था जिसे दिनांक 21 मई 2018 को धारा 31 के अन्तर्गत संशोधित कर लिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। व्यापारी ने, अपने वार्षिक विवरणी में, खरीदों का विभाजन नहीं दिया है। खरीद का विभाजन दिया जाना उ०प्र०म०सं०क० नियमावली के अन्तर्गत अनिवार्य है। दिनांक 20 अगस्त 2016 को कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय और कर निर्धारण आदेश पारित करते समय खरीद के विभाजन को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था। अग्रेतर, विभाग द्वारा दिये गये उत्तर में गैस स्टोव के खरीद मूल्य का खलासा अभी भी नहीं किया गया है।

सारणी 3.6 (ii)
मामले जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड-13 आगरा प्रेक्षण: डिस्काउन्ट पर आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई।	कर निर्धारण आदेश पारित करते समय आदेश में केवल व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी एवं खाते में प्रदर्शित खरीद को ही सम्मिलित किया गया है। इसलिए व्यापारी द्वारा प्रस्तुत खरीद में कोई छूट एवं क्रेडिट नोट को घटाया नहीं गया है।	विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कर निर्धारण आदेश पारित करते समय देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करने में लेखा-परीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित डिस्काउन्ट को ध्यान में नहीं रखा गया। उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 21 में यह विशेष उल्लेख है कि डिस्काउन्ट पर आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होगी।
2.	खण्ड-4 झाँसी प्रेक्षण: गणना में हुई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करते समय, अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई।	विभाग ने कहा कि धारा 14 के अन्तर्गत खरीद के समस्त कर बीजकों का सत्यापन किया गया और सही पाया गया। अतः आई0टी0सी0 का उत्क्रमण किया जाना आवश्यक नहीं है।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी के तथ्यों के अनुसार नहीं है। व्यापारी को आई0टी0सी0 अनुमन्य करते समय कर निर्धारण आदेश में हुई गणना की त्रुटि स्वयं सिद्ध है।

शेष चार मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

सस्तुति:

वा0क0वि0 को ऐसे संव्यवहारों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिये जहाँ कि व्यापारियों द्वारा आई0टी0सी0 का दावा किया जा रहा है और क0नि0प्रा0 द्वारा आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है।

3.5.2 माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना

क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गई ₹ 1.40 करोड़ की ब्याज सहित आई0टी0सी0 जिनकी बिक्री व्यापारियों द्वारा खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008, के अन्तर्गत¹¹, जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया गया है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस मूल्य पर विक्रय किया गया है, जो पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमाति, माल के विक्रय मूल्य, अथवा निर्मित माल पर संदेय कर की सीमा तक होगी। यदि व्यापारी आई0टी0सी0 की सम्पूर्ण धनराशि का दावा करता है तो माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा से अधिक आई0टी0सी0 की धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर के साथ उत्क्रमणीय होगी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2014–15 से 2015–16 में 10 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के पालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ के

¹¹ उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (च) के अन्तर्गत।

आई0टी0सी0 को उत्क्रमित नहीं किया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

लेखापरीक्षा ने 13 वारोकरा (256 लेखापरीक्षित वारोकरा में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी 2017 एवं फरवरी 2018 के मध्य)। इसमें देखा गया कि 13 व्यापारियों (3,507 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 90.25 करोड़ मूल्य के माल की खरीद की थी, ₹ 4.86 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया था तथा इस माल को ₹ 69.68 करोड़ में बेचा था। व्यापारियों ने माल के विक्रय मूल्य पर देय कर ₹ 3.98 करोड़ की सीमा के बजाय माल के खरीद मूल्य पर आई0टी0सी0 प्राप्त किया। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2015 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अनुमत्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया और न ही साधारण ब्याज सहित इसकी माँग सूजित की। इस प्रकार कुल ₹ 1.40 करोड़ (आई0टी0सी0 ₹ 0.88 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.52 करोड़) की ब्याज सहित आई0टी0सी0 उत्क्रमित नहीं की गई थी (परिशिष्ट-VII)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मार्च 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने चार मामलों में ₹ 1.18 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किये। इनमें से, तीन मामलों में, ₹ 8.95 लाख की वसूली कर ली गई थी। ₹ 0.73 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाला एक स्वीकृत, मामला अभी भी कार्यवाही के लिये शेष है। दो मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार न किये गये दो मामलों में से एक में विभाग का मुख्य कथन यह था कि सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण आदेश पारित करते समय टंकण की त्रुटियाँ¹² अपने प्रारंभिक आदेशों में की थी, जिसको कि उन्होंने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्राप्त करने के बाद सही कर दिया। विभाग से लेखापरीक्षा यह आग्रह करता है कि ऐसी चूकों के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाये। इन दो मामलों में शासन के उत्तरों का विश्लेषण सारणी-3.7 (i) एवं सारणी-3.7 (ii) में सूचीबद्ध है।

सारणी-3.7 (i)

मामले जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में विभाग ने उल्लेख किया कि कर निर्धारण आदेशों में टंकण की त्रुटियाँ हुई हैं।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड-10 वाराणसी प्रेक्षण: खरीद की तुलना में कम बिक्री प्रदर्शित की गई है अतः हानि पर बिक्री किये जाने से आई0टी0सी0 उत्क्रमित किया जाना अपेक्षित है।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश के अन्तिम रहतिया में 14 प्रतिशत की दर से खरीदे गये माल को पाँच प्रतिशत की दर से खरीद माल के स्थान पर एवं इसी विपरीतता से उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 में संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधित कर निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप पाँच प्रतिशत करदेयता वाले माल की बिक्री ₹ 1.70 लाख कम पायी गई जिस पर ₹ 0.09 लाख की आर0आई0 टी0सी0 की गई थी जिसे कि व्यापारी ने बाद में 1 मई 2018 को जमा कर दिया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय एवं कर निर्धारण आदेश पारित करते समय व्यापारिक खाते को स्वीकार किया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात, व्यापारी ने संशोधित विवरणी प्रस्तुत की जिसमें उसने अन्तिम रहतिया में 14 प्रतिशत वाले माल को पाँच प्रतिशत वाले माल से एवं इसी विपरीतता से प्रदर्शित किया था। यह टंकण की त्रुटि नहीं है क्योंकि कर निर्धारण पारित करने के पश्चात व्यापारी ने संशोधित विवरणी दाखिल की थी। अग्रेतर, आरंभिक आदेश पारित करने के पश्चात क0नि0प्रा0

¹² कर-निर्धारण आदेशों में विभिन्न माल की कर की दरों के आंकड़े त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित थे।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
			द्वारा संशोधित विवरणी को स्वीकार करने सम्बन्धी किसी प्रावधान को लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

**सारणी-3.7 (ii)
मामले जहाँ विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं**

क्र0 सं0	लेखा-परीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड-1, फैजाबाद प्रेक्षण: खरीद की तुलना में कम बिक्री प्रदर्शित की गई है, अतः हानि पर बिक्री किये जाने से आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया जाना अपेक्षित है।	विभाग ने कहा कि धारा 31 के, अन्तर्गत व्यापारी के खातों का सत्यापन किया गया और स्वीकार किया गया है। अतएव, आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करने की आवश्यकता नहीं है।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अपने वार्षिक विवरणी के तथ्यों के अनुरूप नहीं है। खरीद की तुलना में कम बिक्री कर निर्धारण आदेश के साथ-साथ व्यापारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी से भी स्वयं सिद्ध है। अतः कर निर्धारण आदेश से हानि पर बिक्री प्रमाणित होने के कारण आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया जाना आवश्यक है।

शेष सात मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

वाठक0वि0 को चाहिये कि व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 के मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करें।

3.5.3 व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य माल के क्रय पर आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जाना

क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गई ₹ 2.20 करोड़ की आई0टी0सी0, ब्याज सहित जो व्यापारियों द्वारा किये गये दावे से कम दरों पर करयोग्य थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उठप्र0मू0सं0क0 2008 के अन्तर्गत, पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिये कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ, एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रान्त के अन्दर से की गई करयोग्य माल की खरीद पर संदत्त या संदेय कर पर उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य है। अग्रेतर¹³, यदि किसी व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 से 2016–17 अवधि तक में 40 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के पालन में क0नि0प्रा0 की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.03 करोड़ के त्रुटिपूर्ण आई0टी0सी0 दावों को उजागर किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उपर्युक्त में से, अब तक, वर्ष 2012–13 के प्रतिवेदन की चर्चा लो0ले0स0 में हुई है जिसमें कि विभाग ने ₹ 5.33 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया।

¹³ अधिनियम 14(2) के अन्तर्गत।

लेखापरीक्षा ने पाँच वारोंका (256 वारोंका में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2017 एवं सितम्बर 2017 के मध्य), देखा कि पाँच व्यापारियों ने (1,330 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान ₹ 18.06 करोड़ मूल्य के माल की खरीद की थी एवं पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 90.28 लाख के बजाय 13.5 से 14 प्रतिशत की दर से ₹ 2.53 करोड़ की आईटी०सी० का दावा किया था। व्यापारियों द्वारा खरीदा गया माल उप्रे० मू०स०क० अधिनियम की अनुसूची-II में उल्लिखित है और इन पर लागू कर की दर पाँच प्रतिशत थी। क०नि०प्रा० ने मार्च 2016 एवं जनवरी 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया और बिना विस्तृत जाँच और प्रति सत्यापन किये व्यापारियों को ₹ 1.62 करोड़ की अधिक गैर अनुमन्य आईटी०सी० को अनुमन्य किया। यह त्रुटिपूर्ण दावा ब्याज सहित ₹ 2.20 करोड़ (आईटी०सी० ₹ 1.62 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.58 करोड़) की आईटी०सी० के उत्क्रमण को आकर्षित करता है, जो कि क०नि०प्रा० द्वारा नहीं किया गया था। विवरण सारणी-3.8 में अंकित है।

सारणी-3.8

व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य माल के क्रय पर आईटी०सी० का गलत दावा किया जाना।

(₹ लाख में)									
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	माल का नाम	माल का मूल्य	व्यापारी द्वारा दावाकृत आईटी०सी०	व्यापारी को अनुमन्य आईटी०सी०	क०नि०प्रा० द्वारा उत्क्रमित न की गई आईटी०सी०	आरोपणीय ब्याज
1	खण्ड-1 आगरा	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	फोम एवं फैब्रिक्स	28.22	3.95	1.41	2.54	1.23
2	ज्वा०कमि० (का०स०) गोरखपुर	1	2012–13 (मार्च 2016)	वुडेन ड्रम	25.43	3.52	1.27	2.25	1.18
3	डिं०क० खण्ड-1 गौ०बु० नगर	1	2013–14 (जनवरी 2017)	सेन्ट्रिप्लैगल मोनो ब्लॉक पम्प सेट्स, होस कॉलर एवं स्पेयर पार्ट्स	21.74	3.04	1.09	1.95	0.97
4	डिं०क० खण्ड-2 कानपुर	1	2014–15 (जनवरी 2017)	मल्टीमीडिया स्पीकर, हेडफोन	1,645.95	230.43	82.30	148.13	51.20
5	डिं०क० खण्ड-6 नोएडा	1	2013–14 (जुलाई 2016)	डिजिटल वीडियो कैमरा	84.21	11.79	4.21	7.58	3.17
योग		5			1,805.55	252.73	90.28	162.45	57.75

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (मार्च 2017 एवं सितम्बर 2017 के मध्य), प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों में (जनवरी/मई 2019), विभाग ने तीन मामलों में ₹ 17.10 लाख की धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया। शेष दो मामलों में, विभाग ने प्रेक्षणों को स्वीकार नहीं किया। इन मामलों में विभाग के उत्तर की समीक्षा की गई और सारणी 3.9(i) एवं सारणी 3.9(ii) में विस्तृत विश्लेषण के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

सारणी 3.9(i)

मामले जहाँ विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामलों में कर निर्धारण आदेशों में टंकण की त्रुटियाँ होने का उल्लेख किया है।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड-1, आगरा प्रेक्षण: कर निर्धारण आदेश में फोम एवं फैब्रिक्स की खरीद 14 प्रतिशत की दर से प्रदर्शित की गई थी। लेखापरीक्षा के अनुसार, पाँच प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 देय थी।	विभाग ने बताया कि वास्तव में व्यापारी ने एडहेसिव की खरीद की थी, जिसे कि त्रुटिवश कर निर्धारण आदेश में फोम एवं फैब्रिक्स का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे कि धारा-31 के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को पारित प्रारंभिक आदेश में फोम एवं फैब्रिक्स की खरीद विशेष रूप से प्रदर्शित की गई है। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं पायी जा सकती है। अग्रेतर, व्यापारी ने अपने वार्षिक विवरणी में स्वयं ही उसी माल की खरीद दिखायी है। अग्रेतर विभाग द्वारा एडहेसिव की खरीद से सम्बन्धित दावे को स्थापित करने के लिये कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा को नहीं दिया गया। अतः फोम एवं फैब्रिक्स का उच्चतर दरों से दावाकृत आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किये जाने की आवश्यकता है।

सारणी 3.9(ii)

मामले जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं हैं।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	खण्ड-2, कानपुर प्रेक्षण: स्पीकर, माइक्रोफोन आदि पर आई0टी0सी0 अनुसूची V की बजाय अनुसूची II के अनुसार अनुमन्य है।	विभाग ने कहा कि व्यापारी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली यथा—स्पीकर, माइक्रोफोन आदि की खरीद—बिक्री का कार्य करते हैं जो कि 12.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर को जोड़ते हुये कर योग्य है।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची II, भाग 2ख, क्रम सं0 2 स्पष्ट रूप से यह अनुबन्धित करता है कि स्पीकर, माइक्रोफोन आदि इस प्रविष्टि के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं और इसलिये इन वस्तु पर आई0टी0सी0 पाँच प्रतिशत की दर से ही अनुमन्य है। अतः स्पीकर, माइक्रोफोन आदि पर उच्चतर दर से दावाकृत आई0टी0सी0 उत्क्रमित किये जाने योग्य हैं।

संस्तुति:

वा0क0वि0 यह सुनिश्चित करने के लिये कि आई0टी0सी0 के दावे निर्धारित दरों पर ही किये जा रहे हैं, आई0टी0सी0 के समस्त दावों की आवधिक एवं यादृच्छिक समीक्षा करे।

3.5.4 मिथ्या / कपटपूर्ण आई0टी0सी0 का दावा

विभाग द्वारा किये गये प्रति सत्यापन पर, व्यापारियों द्वारा दावा की गयी ₹ 1.94 करोड़ की आई0टी0सी0 की धनराशि मिथ्या पायी गयी थी। यद्यपि, इसको क0नि0प्रा0 द्वारा उत्क्रमित किया गया था, दोषियों के विरुद्ध ₹ 9.71 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008¹⁴ के अन्तर्गत, यदि खरीदे हुए माल की पुनः बिक्री की जाती है तो, व्यापारी द्वारा उक्त माल की खरीद या बिक्री पर संदर्त्त या संदेय कर की धनराशि की सीमा तक आई0टी0सी0 अनुमन्य है। अग्रेतर¹⁵, यदि कर निर्धारण

¹⁴ मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(19)।

¹⁵ उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 13 सप्तित उ0प्र0 मू0सं0क0नि0 2008 के नियम 24।

प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी व्यापारी द्वारा मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया गया है तो, वह ऐसे व्यापारी को कर के अतिरिक्त आई0टी0सी0 की धनराशि के पाँच गुने के बराबर अर्थदण्ड का भुगतान के लिए निर्देशित कर सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के वर्ष 2012–13 से 2015–16 में 89 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.20 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उपरोक्त में से, अब तक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 पर लो0ले0स0 में चर्चा की जा चुकी है, जिसमें विभाग द्वारा ₹ 11.13 लाख की वसूली की गयी।

लेखापरीक्षा ने 20 वार्षिकों (256 वार्षिकों में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की (अक्टूबर 2016 एवं मार्च 2018 के मध्य) नमूना जाँच की जिसमें पाया गया कि 21 व्यापारियों (5,727 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) के बादों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों द्वारा दावा की गयी आई0टी0सी0 का प्रति सत्यापन किया और पाया कि व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009–10 से 2014–15 के दौरान ₹ 1.94 करोड़ आई0टी0सी0 की धनराशि का मिथ्या/कपटपूर्ण ढंग से दावा किया था। यद्यपि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2017 के मध्य) कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय आई0टी0सी0 को उत्क्रमित कर दिया, परन्तु उन्होंने ₹ 9.71 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया (परिशिष्ट-VIII)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (दिसम्बर 2016 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने ₹ 5.05 करोड़ की धनराशि के 18 मामलों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया। दो मामलों में ₹ 41.46 लाख की वसूली की गयी। शेष तीन मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

वार्षिकों को ऐसे मामलों की ध्यानपूर्वक जाँच एवं सत्यापन करना चाहिए जिसमें व्यापारी द्वारा मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया जा रहा है।

3.6 ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना

व्यापारियों ने ₹ 5.56 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किया, जिस पर ब्याज प्रभार्य था। तथापि, कर निर्धारण करते समय इसे प्रभारित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 2.56 करोड़ की धनराशि का ब्याज प्रभारित नहीं हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008, एवं स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007¹⁶ के अन्तर्गत, कर का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए जिसमें असफल रहने पर असंदर्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक 1 जनवरी 2008 से सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 से 2016–17 में 123 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.57 करोड़ का ब्याज न/कम प्रभारित हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित

¹⁶ उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) को उत्तर प्रदेश माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 13 के साथ पढ़ें।

कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। उपरोक्त में से, अब तक, वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लो०ले०स० में चर्चा की गयी है, जिसमें विभाग द्वारा ₹ 33.24 लाख की वसूली की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने 25 वार्षिकों (256 वार्षिकों में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की (मार्च 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) नमूना जाँच की, देखा कि 28 व्यापारियों (13,651 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने वर्ष 2008–09 से 2013–14 के दौरान स्वीकार किया गया कर ₹ 5.56 करोड़, 32 दिनों से 2,610 दिनों के विलम्ब से, देरी के कारण देय ब्याज का भुगतान किये बिना जमा किया। स्वीकृत कर की विलम्ब से जमा की गयी धनराशि पर जमा करने की तिथि तक ₹ 2.60 करोड़ ब्याज आकर्षित हुआ, जबकि व्यापारियों ने मात्र ₹ 4.02 लाख जमा किया। क०नि०प्रा० ने जुलाई 2013 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 2.56 करोड़ ब्याज प्रभारित नहीं किया (परिशिष्ट-IX)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (अप्रैल 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 23 मामलों में ₹ 55.74 लाख की धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से 13 मामलों में ₹ 28.05 लाख की वसूली प्रतिवेदित थी। विभाग द्वारा स्वीकार किये गये मामलों में, कानून के अनुसार, स्वीकृत कर के विलम्बित जमा के प्रकरणों में ब्याज वसूलने में उनकी असफलता के लिए क०नि०प्रा० के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का कोई संकेत नहीं है। विभाग ने एक मामले में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया, जहाँ यह बताया कि व्यापारी ने समाधान योजना का विकल्प चुना है और समाधान शुल्क विभिन्न तिथियों को लागू नियमों के अनुसार जमा की गयी थी और इस तरह की ब्याज ₹ 0.11 लाख और ₹ 0.06 लाख को क्रमशः दिनांक 02 फरवरी 2018 और 25 जनवरी 2018 को जमा किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है। व्यापारी ने लेखापरीक्षा द्वारा विलम्ब इंगित करने के पश्चात् ब्याज जमा किया। अग्रेतर, व्यापारी द्वारा सम्पूर्ण ब्याज अर्थात् ₹ 1.07 लाख (1 अक्टूबर 2013 से 05 अक्टूबर 2016) को जमा नहीं किया गया था। शेष चार मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

जहाँ व्यापारियों ने देय कर को विलम्ब से जमा किया है, वहाँ ब्याज की धनराशि की गणना वार्षिकी द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।

3.7 अर्थदण्ड का अनारोपण

कर से सम्बन्धित कानून दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों द्वारा दुराशयपूर्ण क्रिया—कलापों को हतोत्साहित करने के लिए बनाये गये हैं। क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अनेक अपराधों जैसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं संव्यवहार, कर का विलम्ब से जमा किया जाना, उ०प्र०म०स०क० अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि की उपेक्षा किया। यद्यपि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण के लिये स्पष्ट प्रावधान है, फिर भी सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने 2007–08 (म०स०क०) से 2015–16 तक की अवधि के लिये 125 वार्षिकों से सम्बन्धित 218 व्यापारियों में धनराशि ₹ 33.52 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है:

3.7.1 टर्नओवर का छिपाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये टर्नओवर की धनराशि ₹ 20.44 करोड़ पर ₹ 3.66 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ०प्र०म०सं०क० ० अधिनियम¹⁷ के अन्तर्गत, जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझकर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो, या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या संदाय कर का अपवंचन किया हो, जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क०नि०प्रा० ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि, वह कर यदि उसके द्वारा देय हो, के साथ-साथ छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 से 2015–16 में 170 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में क०नि०प्रा० की असफलता को उजागर किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.93 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में विभाग ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उपरोक्त में से, अब तक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 पर लो०ले०स० में चर्चा की गयी, जिसमें विभाग द्वारा ₹ 9.58 लाख की वसूली की गयी है।

लेखापरीक्षा ने 56 वा०क०का० (256 वा०क०का० में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की (जनवरी 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) नमूना जाँच की, पता चला कि 69 व्यापारियों (25,491 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान ₹ 20.44 करोड़ की खरीद और बिक्री के टर्नओवर को छिपाया था। चूँकि व्यापारियों ने गलत तरीके से अपने टर्नओवर को छिपाया, वे छिपाये गये कर की धनराशि के तीन गुने के बराबर अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी थे। हालांकि, क०नि०प्रा० ने (सितम्बर 2012 एवं मार्च 2017 के मध्य), कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस छिपाये हुए टर्नओवर पर केवल ₹ 1.22 करोड़ की धनराशि का कर आरोपित किया। सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने न तो ₹ 3.66 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया (परिशिष्ट-X)। यह इस तथ्य के बावजूद कि 32 खण्डों के अन्तर्गत आने वाले 40 मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने (जून 2014 एवं नवम्बर 2017 के मध्य) यह पुष्टि कर दी थी कि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया/देय कर के भुगतान का अपवंचन किया गया था अथवा व्यापारियों ने स्वयं ही इसे स्वीकार कर लिया था और छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर को जमा कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मार्च 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 56 मामलों में ₹ 2.81 करोड़ की धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से 15 मामलों में ₹ 49.25 लाख की वसूली की जा चुकी थी। तीन मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन तीनों मामलों में, अपीलेट प्राधिकारियों द्वारा अपवंचन की पुष्टि की गयी है जैसा कि निम्नलिखित सारणी 3.10 में दर्शाया गया है।

¹⁷ धारा 54(1)(2)।

सारणी 3.10
मामले जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	ज्वारोक०(का०स०) गोरखपुर	विभाग ने बताया कि यदि अपवंचन जानबूझकर नहीं है तो अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है।	सभी तीनों मामलों में व्यापारियों द्वारा छिपाये गये टर्नओवर के सम्बन्ध में अपील दायर की गयी है। इन सभी मामलों में अपीलेट अथोरिटी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के तर्क को सही ठहराया गया है, जिससे अपवंचन के तथ्य की पुष्टि होती है। इन परिस्थितियों में, विभाग का उत्तर कि अपवंचन जानबूझकर नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।
2	खण्ड 3 गोरखपुर		
3	खण्ड 2 कांशीरामनगर (कासगंज)		

शेष 10 मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

वारोक०वि० को ऐसे सभी मामले की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ व्यापारियों द्वारा टर्नओवर के छिपाये जाने का पता लगता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित अर्थदण्ड लगाया जाये।

3.7.2 स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा होना

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 15.31 करोड़ की धनराशि के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 3.06 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड और ₹ 55.30 लाख ब्याज आरोपित नहीं किया।

उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम¹⁸ के अन्तर्गत, यदि क०नि०प्रा० इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निश्चित अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में देय कर जमा करने में असफल रहा है, तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के साथ-साथ ऐसे देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में अदा करे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 से 2015–16 में 201 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन क०नि०प्रा० की असफलता को उजागर किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के जवाब में विभाग ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उपरोक्त में से, अब तक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 पर लो०ले०स० में चर्चा की गयी जिसमें विभाग द्वारा ₹ 8.82 लाख की वसूली की गयी है।

लेखापरीक्षा ने 60 वारोक०का० (256 वारोक०का० में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की (सितम्बर 2015 और मार्च 2018 के मध्य) नमूना जाँच की, पता चला कि 80 व्यापारियों (26,519 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने 2008–09 से 2014–15 की अवधि के लिए स्वयं स्वीकार किये गये कर, ₹ 15.31 करोड़ को समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि 5 दिनों से 1,397 दिनों की थी। चूँकि कर विलम्ब से जमा किया गया था, जिसके लिये वो आरोपित कर के साथ-साथ देय कर के 20 प्रतिशत की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के भी दायी थे जो कि विचाराधीन व्यापारी

¹⁸ धारा 54(1)(ए)।

द्वारा भुगतान योग्य थी। तथापि, क०नि०प्रा० ने (मई 2012 एवं मार्च 2017 के मध्य), कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 55.30 लाख ब्याज के साथ ₹ 3.06 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया और न ही अर्थदण्ड और ब्याज के अनारोपण के लिए कोई कारण ही अंकित किया (परिशिष्ट-XI)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (अप्रैल 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उनके उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 58 मामलों में ₹ 2.14 करोड़ की धनराशि का लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया, जिसमें से 10 मामलों में ₹ 17.92 लाख की वसूली की गयी थी। चार मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी चारों मामलों में स्वीकृत कर बिना ब्याज के/लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने के बाद जमा किया गया था जो कि निम्नलिखित सारणी 3.11 में विस्तृत विश्लेषण के अनुसार ₹००३०क० अधिनियम के प्रावधान के विपरीत है।

सारणी 3.11 प्रकरण जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	खण्ड-12 इलाहाबाद प्रेक्षण: माह 03/14 का स्वीकृत कर 278 से 887 दिन विलम्ब से जमा किया गया था। इस प्रकार ₹००३०क० अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।	विभाग ने कहा कि व्यापारी ने समाधान योजना को चुना है और विभिन्न समाधान शुल्कों ₹ 9.64 लाख को ब्याज सहित विभिन्न तिथियों को जमा किया गया है। इस तरह, अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं है।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार नहीं है। व्यापारी द्वारा अपने कर विवरणी में संलग्न चालान की छायाप्रति इंगित करती है कि स्वीकार किये गये कर को लेखापरीक्षा के समय तक बिना ब्याज के जमा किया गया था। अतः विभाग का यह उत्तर कि व्यापारी ने ब्याज सहित स्वीकृत कर जमा कर दिया था, सही नहीं है। इस प्रकार, अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।
2	खण्ड-5 बरेली प्रेक्षण: माह जुलाई 2012 और अगस्त 2012 का स्वीकृत कर ४ से ८० दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इस प्रकार ₹००३०क० अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।	विभाग ने कहा कि स्वीकृत कर पर ब्याज ₹ 2,000 और ₹ 4,000 दिनांक 4 अगस्त 2017 को जमा किया गया और कमिशनर के परिपत्र के अनुसार यदि विलम्ब 10 दिनों तक का है और व्यापारी द्वारा उचित कारणों के साथ स्वीकृत कर ब्याज सहित जमा किया गया है, तो अर्थदण्ड आरोपित नहीं होगा। वर्तमान मामले में व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर को विलम्ब और बिना ब्याज के जमा किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कमिशनर के परिपत्र वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। अतः अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।	
3	खण्ड-8 लखनऊ प्रेक्षण: माह दिसम्बर 2013 और जनवरी 2014 का स्वीकृत कर पाँच से सात दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इस प्रकार ₹००३०क० अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।	विभाग ने कहा कि यदि स्वीकृत कर ब्याज के साथ जमा किया गया है तो मात्र उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26 अक्टूबर 2004 के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं होगा।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार नहीं है। व्यापारी द्वारा अपने कर विवरणी में संलग्न चालान की छायाप्रति इंगित करती है कि स्वीकार किये गये कर को लेखापरीक्षा के समय तक बिना ब्याज के जमा किया गया था। अतः विभाग का यह उत्तर कि व्यापारी ने ब्याज सहित स्वीकृत कर जमा कर दिया है, सही नहीं है। इस तरह, अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
4	खण्ड-14 वाराणसी (ख) प्रेक्षण: माह मई 2011 और जून 2011 का स्वीकृत कर 50 से 77 दिनों तक के विलम्ब से जमा किया गया था, इस प्रकार उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।	विभाग ने कहा कि विलम्ब के लिए व्याज दिनांक 29 सितम्बर 2018 को जमा किया गया था। इस तरह, अर्थदण्ड आरोपित नहीं होगा।	विभाग का यह उत्तर कि स्वीकृत कर के विलम्ब से जमा के लिए व्यापारी द्वारा व्याज जमा किया गया है स्वीकार्य नहीं है जैसाकि लेखापरीक्षा के समय व्यापारी ने स्वीकृत कर बिना व्याज के जमा किया था, और इसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय और पारित करते समय स्वीकार किया गया था। चूँकि लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने के बाद व्यापारी ने व्याज जमा किया है, इसलिए अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

शेष 18 मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही हैं (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

वारोकरी विभाग को उन मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकृत कर को देय व्याज के बिना जमा किया जा रहा है।

3.7.3 स्रोत पर काटे गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गये कर ₹ 13.40 करोड़ की धनराशि को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर व्यापारियों पर ₹ 26.80 करोड़ के अर्थदण्ड की धनराशि के साथ ₹ 14.26 लाख व्याज आरोपित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008¹⁹ के अन्तर्गत, ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। कटौती करने में असफल रहने या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20 वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहने की दशा में क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 से 2016–17 में 108 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.40 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर में विभाग ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उपरोक्त में से, अब तक, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लो0लो0स0 में चर्चा की गयी जिसमें विभाग द्वारा ₹ 24.00 लाख की वसूली की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने 47 वारोकरी (256 वारोकरी में से) के कर निर्धारण अभिलेखों (मार्च 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) की नमूना जाँच की, पता चला कि 69 व्यापारियों (17,490 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने वर्ष 2008–09 से 2014–15 के दौरान संविदाकार को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 13.40 करोड़ कर की धनराशि की कटौती की परन्तु इसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर राजकोष में जमा नहीं किया।

¹⁹ धारा 34(8) सप्तित धारा 34(1)।

विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से लेकर 349 दिनों तक की थी। क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2017 के मध्य), न तो ₹ 26.80 करोड़ के देय धनराशि के अर्थदण्ड के साथ देय व्याज ₹ 14.26 लाख का आरोपण किया और न ही अर्थदण्ड एवं व्याज के अनारोपण के लिए कोई कारण ही अंकित किया (परिशिष्ट-XII)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (अप्रैल 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 53 मामलों में ₹ 18.71 करोड़ की धनराशि का लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया, जिसमें से दो मामलों में ₹ 2.35 लाख की वसूली की गयी थी। चार प्रकरणों में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि सारणी 3.12 में विवरण दिया गया है।

सारणी 3.12 प्रकरण जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	खण्ड-16 आगरा (क) प्रेक्षण: माह मार्च 2014 का टी०डी०एस० बिना व्याज के आठ दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इसलिए, मू०सं०क० अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।	विभाग ने बताया कि विलम्ब आठ दिनों का था और कमिशनर के परिपत्र के अनुसार, यदि विलम्ब की अवधि 10 दिनों से कम है, तो अर्थदण्ड उद्ग्रहणीय नहीं है। विलम्ब के लिए व्यापारी द्वारा ₹ 1,305/- व्याज जमा किया गया था।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कमिशनर के परिपत्र के अनुसार, यदि स्वीकृत कर का विलम्ब 10 दिनों तक है और व्यापारी द्वारा उचित कारणों के साथ स्वीकृत कर व्याज सहित जमा किया गया है, तो अर्थदण्ड आरोपित नहीं होगा। वर्तमान मामले में, व्यापारी द्वारा बिना व्याज के स्वीकृत कर को विलम्ब से जमा किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कमिशनर का परिपत्र वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। अतः अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।
2	खण्ड-16 आगरा (ख) प्रेक्षण: माह अप्रैल 2013 और मार्च 2014 के लिए विभिन्न टी०डी०एस० बिना व्याज के आठ से नौ दिनों के विलम्ब की अवधि से जमा किये गये थे। इसलिए मू०सं०क० अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।	विभाग ने बताया कि विलम्ब आठ दिनों का था और कमिशनर के परिपत्र के अनुसार, यदि विलम्ब की अवधि 10 दिनों से कम है, तो अर्थदण्ड उद्ग्रहणीय नहीं है। विलम्ब के लिए व्यापारी द्वारा ₹ 19,743/- व्याज जमा किया गया था।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कमिशनर के परिपत्र के अनुसार, यदि स्वीकृत कर का विलम्ब 10 दिनों तक की है और व्यापारी द्वारा उचित कारणों के साथ स्वीकृत कर व्याज सहित जमा किया गया है, तो अर्थदण्ड आरोपित नहीं होगा। वर्तमान मामले में व्यापारी द्वारा बिना व्याज के स्वीकृत कर को विलम्ब से जमा किया गया है। अतः उपरोक्त कमिशनर का परिपत्र वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।
3	खण्ड-8 गाजियाबाद (ख) प्रेक्षण: माह जनवरी 2012 के लिए टी०डी०एस० बिना व्याज के 11 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इसलिए उ०प्र० मू०सं०क० अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।	विभाग ने कहा कि 8 फरवरी 2012 को कर की कटौती की गयी थी जिसे 2 मार्च 2012 को नियत समय में जमा किया गया था, इस प्रकार टी०डी०एस० समय से जमा था।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा कर निर्धारण के समय प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार नहीं है। व्यापारी की विवरणी बताती है कि माह जनवरी 2012 का टीडीएस जो 20 फरवरी 2012 तक या उससे पहले जमा होना था, 11 दिनों के विलम्ब से 2 मार्च 2012 को जमा किया गया था। अतः व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
4	<p>खण्ड-17 वाराणसी (ख) प्रेक्षण: माह फरवरी 2013 के लिए टी0डी0एस0 बिना ब्याज के 11 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इसलिए मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।</p>	<p>विभाग ने कहा कि माह फरवरी 2013 में कोई कटौती नहीं की गयी थी। चालान फार्म में मई 2013 के स्थान पर गलती से फरवरी 2013 उल्लिखित हो गया था। इस तरह, कोई विलम्ब नहीं था।</p>	<p>विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा कर निर्धारण के समय प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार नहीं है। लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे माह मई 2013 का टी0डी0एस0 काटे जाने से पहले 31 मार्च 2013 को जमा हो गया था। व्यापारी की विवरणी से यह स्पष्ट होता है कि माह फरवरी 2013 का टी0डी0एस0 जो 20 मार्च 2013 को या उससे पहले जमा किया जाना था, 11 दिनों के विलम्ब से 31 मार्च 2013 को जमा किया गया था। अतः व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।</p>

शेष 12 मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही हैं (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

वार्कोविं को व्यापारियों/ठेकेदारों द्वारा टी0डी0एस0 को समय से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.8 व्यापारियों द्वारा कर के रूप में गलत तरीके से वसूल की गई धनराशि को जब नहीं किया जाना

व्यापारियों ने अपने कर दायित्व से ₹ 4.61 करोड़ का अधिक कर एकत्र किया था। तथापि, कर कोनिप्रा० ने व्यापारियों द्वारा गलत तरीके से वसूल की गयी धनराशि को जब नहीं किया।

उ०प्र० मू०सं०क०अधिनियम²⁰ के अन्तर्गत, जहाँ किसी व्यापारी द्वारा किसी भी व्यक्ति से अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में माल की बिक्री या खरीद पर कर की वसूली के माध्यम से ऐसा करने के लिए किसी भी राशि की वसूली की गयी है, किसी व्यापारी द्वारा जमा की गयी ऐसी राशि एक सीमा तक देय कर नहीं है, राज्य सरकार द्वारा रोक दी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने आठ वार्कोका²¹ (256 वार्कोका० में से) के अभिलेखों (अप्रैल 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ व्यापारियों (2,824 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने 2011–12 एवं 2013–14 से 2014–15 की अवधि के लिए अधिनियम की प्रावधानों के उल्लंघन में कर के रूप में ₹ 4.61 करोड़ की अधिक धनराशि प्रभारित/वसूली की थी। कोनिप्रा० ने अप्रैल 2015 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त व्यापारी द्वारा वसूल की गई धनराशि को जब नहीं किया गया (परिशिष्ट-XIII)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

²⁰ धारा 43(2)।

²¹ जांकमि० रेंज-बी, जीबी नगर-1, ₹ 138.75 लाख, खण्ड-2 कानपुर-1, ₹ 293.55 लाख, खण्ड-16 कानपुर-1, ₹ 0.88 लाख, खण्ड-3 ल०खीरी-1, ₹ 16.67 लाख, खण्ड-1 ललितपुर-2 ₹ 2.77 लाख और ₹ 2.17 लाख, खण्ड-1 नोयडा-1 ₹ 5.33 लाख, खण्ड-2 पीलीभीत-1 ₹ 0.67 लाख, खण्ड-3 सुल्तानपुर-1 ₹ 0.53 लाख।

संस्तुति:

वारकरीविभाग को उन प्रकरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ व्यापारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अन्य व्यापारियों से धनराशि कर के रूप में गलत तरीके से वसूल किया गया है।

3.9 माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी

3.9.1 प्रस्तावना

1 जुलाई 2017 से, क्रियान्वित माल और सेवा कर (मार्गतर्गत माल अथवा सेवा (मानव उपभोग के लिये मदिरा एवं पाँच विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों²² को छोड़कर) की आपूर्ति पर अलग से परन्तु संघ (केमार्गतर्गत माल अलग समर्वर्ती रूप से आरोपित किया जाता है। अग्रेतर, प्रावधान के तहत नये करारोपण व्यवस्था में, वस्तुओं एवं सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति (आयातों सहित) पर एकीकृत मार्गतर्गत (एमार्गतर्गत) आरोपित हो रहा है। संसद के पास एमार्गतर्गत आरोपित करने की अनन्य शक्ति है। मार्गतर्गत ने राज्य और केन्द्रीय करों की बहुलता का स्थान ले लिया है। जो प्रमुख कर प्रतिस्थापित किये गये हैं, उनमें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उप्रमूल्यसंवर्धित) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत, क्रमिक व्यापारियों द्वारा राज्यान्तर्गत बिक्री के क्रम में मूल्य संवर्धित कर (मूल्यसंवर्धित) तथा केमार्गतर्गत अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के क्रम में वस्तुओं की बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर (केमार्गतर्गत) आरोपित किये जाते थे।

पूर्ववर्ती मूल्यसंवर्धित व्यवस्था के अन्तर्गत, राज्य सरकार को उप्रमूल्यसंवर्धित के प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार था। दूसरी ओर मार्गतर्गत सेवा कर विभिन्न स्थानीय एवं केन्द्रीय²⁴ करों को सम्मिलित करते हुये उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जून 2017) अधिसूचित किया। राज्य एवं केन्द्रीय कर प्राधिकारियों को आईटी० सेवाएं प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटी०एन०) की स्थापना एक निजी कम्पनी के रूप में की गयी। जीएसटी०एन०, मार्गतर्गत पोर्टल के सम्पूर्ण आईटी० प्रणाली को व्यवस्थित करता है। सरकार के द्वारा इसका उपयोग प्रत्येक वित्तीय संव्यवहार का पता लगाने के लिये, और करदाताओं को पंजीकरण से कर जमा करने तक तथा सभी कर विवरणों को बनाये रखने की सभी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है। यह कर दाताओं के लिये अभीष्ट फ्रन्ट इन्ड आईटी० सेवायें जैसे पंजीकरण, कर का भुगतान और विवरणियों का दाखिल किया जाना और कर प्राधिकारियों के उपयोग के लिये बैक इन्ड आईटी० सेवायें जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाताओं के विवरण की दर्शिका, वापसी प्रक्रिया, एमार्गतर्गत प्रतिवेदन आदि को समाविष्ट करता है। बैक इन्ड सेवायें केवल मॉडल-II²⁵ राज्यों, के लिये उपलब्ध हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश एक है।

²² केन्द्रीय मार्गतर्गत: केमार्गतर्गत एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्र मार्गतर्गत: रामार्गतर्गत/संशाल मार्गतर्गत।

²³ पेट्रोलियम उत्पादों: क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्लूल एवं प्राकृतिक गैस।

²⁴ मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं मनोरंजन कर।

²⁵ मॉडल I राज्य: जीएसटी०एन द्वारा केवल फ्रन्ट इन्ड सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

मॉडल II राज्य: जीएसटी०एन द्वारा फ्रन्ट इन्ड तथा बैक इन्ड दोनों सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

3.9.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि:

- आई0टी0 समाधान को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार की तैयारी का मूल्यांकन करना;
- नियमों/विनियमों/आई0टी0 प्रणाली को तैयार/कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये किये गये क्षमता निर्माण उपायों का आंकलन करना; और
- राज्य सरकार द्वारा विरासती कर व्यवस्था के मुददों को संभालने के लिये तय की गयी रणनीति का विश्लेषण करना।

3.9.3 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं उनके अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से प्राप्त किये गये हैं:

- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;
- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017;
- मा0से0क0 (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017;
- कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017;
- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017;
- सम्मिलित करों से सम्बन्धित अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों:
 - उत्तर प्रदेश मू0सं0क0 अधिनियम, 2008, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं केन्द्र/राज्य सरकार और मा0से0क0 परिषद द्वारा जारी किये गये अन्य दिशा निर्देशों।

3.9.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

भारत के संविधान के 101वें संशोधन से अर्थात् 8 सितम्बर 2016 से 31 मार्च 2018 तक प्रभावी मा0से0क0 के कार्यान्वयन से संबंधित, राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग की गतिविधियों की, लेखापरीक्षा के दौरान समीक्षा की गयी। इसके अतिरिक्त, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से मा0से0क0 में व्यापारियों के जाने, ट्रांजिशनल क्रेडिट एवं मा0से0क0 वापसी से संबंधित सूचना/डेटा प्राप्त किये गये। विरासती मुददों जैसे करनिधारण, वसूली/वापसी आदि के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की भी जाँच की गयी।

राज्य वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा को न तो जी0एस0टी0एन0 की ऐक्सेस दी व न ही मा0से0क0 डेटा से संबंधित अपने अधिकार का कोई डेटा डम्प सतत प्रयास के बावजूद उपलब्ध कराया। चूंकि मा0से0क0 का डेटा साझा नहीं किया गया, हम लेखापरीक्षा नहीं कर सके एवं इसलिए प्रतिवेदन का यह खण्ड लेखापरीक्षा द्वारा किये गये प्रश्नों एवं माँग पत्रों पर उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं पर, परन्तु बिना किसी वास्तविक डाटाबेस या दस्तावेजों के स्वतंत्र सत्यापन के, आधारित है।

18 मार्च 2019 को कमिशनर, वाणिज्य कर के साथ एक प्रारम्भिक विचार गोष्ठी की गई। विभाग को प्रेक्षणों को 11 जून 2019 को प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में 14 जून 2019 को विभाग के साथ निष्कर्षों पर विचार विमर्श करने के लिये एक गोष्ठी की गई। अन्तिम प्रेक्षणों को राज्य सरकार को 16 जुलाई 2019 को अग्रेषित किया गया। विभाग के उत्तर 12 सितम्बर 2019 को प्राप्त हुये। कमिशनर, वाणिज्य कर एवं शासन

के साथ 1 अक्टूबर 2019 को निष्कर्षों पर विचार विमर्श करने के लिये समापन विचार गोष्ठी की गई।

3.9.5 जी0एस0टी0एन0 डाटाबेस की ऐक्सेस

मा0से0क0 कार्यान्वयन के लिये आई0टी0 प्लेटफार्म के आरम्भ के साथ, जी0एस0टी0एन0 आई0टी0 प्रणाली की ऐक्सेस और इसके डेटा लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक हो जाते हैं जिससे कि प्रणाली की मजबूती के सम्बन्ध में आवश्यक आश्वासन प्राप्त किया जा सके। नि0म0ले0प0 की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जी0एस0टी0एन0 आई0टी0 प्रणाली और डेटा तक पूर्ण ऐक्सेस के लिये नि0म0ले0प0 दलों के लिये, भारत सरकार को लागिन क्रिडेंशियल बनाने के लिये जी0एस0टी0एन0 ने अनुशंसा की थी (अक्टूबर 2016)।

इस कार्यालय²⁶ द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था (अप्रैल 2018) कि भारत के नि0म0ले0प0 को कुछ प्रासंगिक प्रोटोकाल्स के साथ मा0से0क0 डेटा को साझा किया जा सकता है। विभाग ने उत्तर में बताया²⁷ (मई 2018) कि जी0एस0टी0एन0 पोर्टल की ऐक्सेस उपलब्ध कराना और भूमिका की पटकथा बनाना केवल जी0एस0टी0एन0 परिषद के द्वारा ही सम्भव है।

विभाग ने अग्रेतर बताया (सितम्बर 2019) कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ डेटा शेयरिंग प्रोटोकाल का प्रकरण मा0से0क0 परिषद को संदर्भित कर दिया गया है। जी0एस0टी0एन0 एवं डेटा डम्प को ऐक्सेस करने के लिये मामले का निर्णय होने तक, प्रतीक्षा किया जाना औचित्यपूर्ण होगा।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि नि0म0ले0प0 के डी0पी0सी0 अधिनियम, 1971 की धारा 18 के अधीन नि0म0ले0प0 को किसी भी अभिलेख, लेखे और अन्य अभिलेख जो कि उसकी जाँच से सम्बन्धित हैं के ऐक्सेस का प्राधिकार होगा। अग्रेतर, नि0म0ले0प0 के डी0पी0सी0 अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन, नि0म0ले0प0 का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करे जो भारत और प्रत्येक राज्य की संचित निधि में देय हैं। अग्रेतर, लेखा तथा लेखापरीक्षा, विनियमन 2007 के विनियम 181 में यह और स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विभाग अथवा सत्त्व यह सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रणाली स्थापित एवं कार्यान्वित कर सकें जिससे कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित डेटा, सूचना तथा दस्तावेज नि0म0ले0प0 को उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार, नि0म0ले0प0 को मा0से0क0 ऑकड़ों की ऐक्सेस डेटा डम्प उपलब्ध न कराना नि0म0ले0प0 डी0पी0सी0 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह तथ्य कि कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार और छत्तीसगढ़ ने मा0से0का0 डेटा लेखापरीक्षा से साझा करना शुरू कर दिया, यह दर्शाता है कि डेटा के साझाकरण की मा0से0क0 परिषद अथवा भारत सरकार की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.9.6 2013–14 से 2017–18 तक राजस्व का रुझान

वर्ष 2017–18 के दौरान गैर सम्मिलित/सम्मिलित करां सहित मू0सं0क0/के0बि0क0 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ₹ 31,436.89 करोड़ थीं और रा0मा0से0क0 प्राप्तियाँ (अग्रिम अंश जोड़ते हुये ए0मा0से0क0 अंश सहित) ₹ 25,373.96 करोड़ थीं। वर्ष 2017–18 के दौरान पिछले वर्ष 2016–17 के ₹ 52,664.47 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राप्तियाँ ₹ 56,810.85 करोड़ अर्थात् 7.87 प्रतिशत की वृद्धि थीं। कर आधार भी 6,97,457 प्रवर्जित व्यापारियों से बढ़कर 13,30,281 व्यापारियों²⁸ का हो गया। यह इस अवधि के दौरान राजस्व में वृद्धि की व्याख्या करता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ सारणी 3.13 में उल्लिखित हैं।

²⁶ पत्र सं0 एजी (ई एण्ड आरएसए), यूपी/सेक्रेट./2018–19/03 दिनांक 05.04.2018 द्वारा।

²⁷ पत्र सं0 ज्वाइंट कमिश्नर (आडिट)/2018–19/431/वाणिज्य कर दिनांक 21.05.2018 द्वारा।

²⁸ 11.06.2018 तक।

सारणी-3.13
राजस्व का रुझान

वर्ष	मूलभूत प्राप्ति की अन्तर्गत प्राप्तियाँ ²⁹	मानविकी के अन्तर्गत अन्य सम्बद्धित करों की प्राप्तियाँ ³⁰	राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	पूर्व वर्षों से वृद्धि (प्रतिशत में)	प्राप्त मानविकी मुआवजा	(₹ करोड़ में)	
							कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ
2013–14	39,645.45	509.36		40,154.81				40,154.81
2014–15	42,931.54	541.68		43,473.22	8.26			43,473.22
2015–16	47,692.40	745.76		48,438.16	11.42			48,438.16
2016–17	51,882.88	781.59		52,664.47	8.73			52,664.47
2017–18	31,112.52	324.37	25,373.96	56,810.85	7.87	2,124.00		58,934.85

(स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे)।

अपने उत्तर में विभाग ने बताया (सितम्बर 2019) कि 11 जून 2018 को कुल व्यापारी 13.30 लाख³⁰ थे जिसमें से जी0एस0टी0एन0 के प्रबन्धित 6.97 लाख व्यापारी थे तथा नये 6.33 लाख व्यापारी थे। इस प्रकार स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि कर आधार में वृद्धि हुई है।

3.9.7 विभाग की अवस्थापना

3.9.7.1 कर्मचारियों की कमी

किसी संगठन के दक्ष प्रदर्शन के लिये, यह आवश्यक है कि कर विधियों एवं नियमों के संचालन एवं अनुश्रवण तथा सम्बन्धित प्रबन्धन हेतु इसमें अधिकारियों के साथ सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या हो। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा, विभाग के स्तर पर मानव संसाधनों की उपलब्धता की सीमा पर केन्द्रित थी।

यह देखा गया कि बहुत बड़ी मात्रा में अधिकारी और सहायक कर्मचारियों के संवर्ग में कमी थी जैसा कि सारणी-3.14 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी-3.14 मानवशक्ति की स्थिति

क्रमांक	संवर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (2018–19)	कमी	कमी (प्रतिशत में)
1	अधिकारी	3,033	2,433	600	20
2	लिपिकीय	5,328	3,096	2,232	42
3	आशुलिपिक	1,302	722	580	45
4	संख्या संवर्ग	111	77	34	31
5	लेखापरीक्षक	91	26	65	71
6	लेखा संवर्ग	131	31	100	76
7	संग्रह संवर्ग	481	309	172	36
8	कम्प्यूटर संचालक	235	173	62	26

(स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)।

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि विभाग में छ: सौ अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी थी जो कि स्वीकृत पद 3,033 की 20 प्रतिशत आती है। वैसे ही प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण और विश्लेषणात्मक कार्य के लिये संख्या, लेखापरीक्षा और लेखा संवर्ग महत्वपूर्ण हैं। तथापि, इन संवर्गों में क्रमशः 31, 71 और 76 प्रतिशत तक की कमी है। ठीक इसी तरह, कम्प्यूटर संचालकों के 26 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं।

मानविकी दौर में संबद्ध कार्य प्रौद्योगिकी से संचालित है और कार्य का माहौल कागज रहित बनाना है। मानविकी परिवेश में कर प्रबन्धन के उद्देश्य से आई0टी0 प्रशिक्षित अधिकारियों और विश्लेषकों की महत्ता की आवश्यकता है। प्रशासन और प्रवर्तन के उद्देश्य हेतु आवश्यक व्यवसायिक ज्ञान का प्रतिरूप विकसित करने के लिये संवर्गों के पुनर्गठन और आई0टी0 दक्ष कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता है।

²⁹ अँकड़े मुख्य लेखा शीर्ष 0023 होटल प्राप्तियाँ, 0045 वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क से शामिल किये गये।

³⁰ 11 जून 2018 तक।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2019) में कहा कि मा०से०क० में आवश्यकतानुसार संवर्ग का पुनर्गठन किया जा रहा था। परन्तु, उन्होंने अपने कथन की पुष्टि करने के लिये लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

3.9.7.2 मनोरंजन कर के कर्मचारियों की तैनाती

मनोरंजन कर मा०से०क० में सम्मिलित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप, मनोरंजन कर विभाग, जो कर का प्रबन्धन करता है का भी वा०क०वि० के साथ विलय³¹ (अप्रैल 2018) हो चुका है। लेखापरीक्षा ने पाया कि मा०से०क० के कार्यान्वयन के नौ माह के पश्चात विलय पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिसूचित किया जा सका। इसके बाद भी, विभाग पूर्ववर्ती मनोरंजन कर विभाग के 131 अधिकारियों को वा०क०वि० में उनकी नये काम पर तैनाती करने में विफल रहा क्योंकि जिलाधिकारियों ने मनोरंजन कर अधिकारियों को विविध कार्य सौंपे थे। जुलाई 2017 और फरवरी 2019 के मध्य इन अधिकारियों की स्थापना पर ₹ 21.15 करोड़ खर्च किये जा चुके थे। विभाग उनकी सेवाओं से वंचित रहा, जो कि अधिकारी संवर्ग में हुयी कमी को आसान कर सकते थे।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2019) में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि पूर्ववर्ती मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्गों के पुनर्गठन का कार्य अभी भी प्रगति पर है तथा बताया कि कर्मचारियों को मनोरंजन कर के विविध कार्यों में लगाया गया था।

3.9.7.3 विभाग द्वारा मा०से०क० दौर के लिये क्षमता निर्माण के प्रयास

मा०से०क० के कार्यान्वयन के साथ ही वा०क०वि० ने अपने अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 2017–18 के दौरान, कुल 2,920 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 2,537 मा०से०क० में प्रशिक्षित किये गये थे। वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में वर्ष 2018–19 के दौरान, कुल 815 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 393 मा०से०क० में प्रशिक्षित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 82 स्थानों पर सहायता केन्द्रों को स्थापित किया और 5,494 सेमिनारों को संचालित किया जिसमें 3,71,329 व्यक्तियों ने भाग लिया।

3.9.8 कानूनी / वैधानिक तैयारी

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 की अधिसूचना (मई 2017) जारी किया। अग्रेतर, राज्य में मा०से०क० कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचनायें जारी किया गया। राज्य सरकार/वाणिज्य कर विभाग ने मा०से०क० के सम्बन्ध में जून 2017 से मार्च 2019 तक, 189 अधिसूचनायें, 66 परिपत्रों को जारी किया।

3.9.9 ई-वे बिल प्रणाली

मा०से०क० अधिनियम अधिनियमित होने के पूर्व, पुराने दौर के अन्तर्गत, निर्धारित दस्तावेजों/सूचनाओं से अनाच्छादित कथित रूप से अपंजीकृत व्यापारियों की इस प्रकार के वस्तुओं के राज्य के अन्दर और/राज्य से संक्रमण के दौरान करापवंचन की जाँच करने के लिये सचल दल इकाइयाँ (स०द०इ०) नियोजित थीं। असिस्टेंट कमिशनर (सचल दल) इस प्रकार की स०द०इ० के प्रभारी थे। उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी राज्य के अन्दर फर्जी दस्तावेजों से परिवहित की जा रही वस्तुओं की जाँच करना, तथा रेल और सड़क के द्वारा आयात की जा रही वस्तुओं की प्रभावशाली जाँच द्वारा कर अपवंचन रोकना। नेशनल इनफारमैटिक सेन्टर (एनआईसी), लखनऊ ने उत्तर प्रदेश से हो कर एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन के लिये पारगमन पास/पारगमन घोषणा

³¹ अधिसूचना सं० 624 / 11.03.2018–103 / 2017 दिनांक 24.04.2018 तथा 520 / 11.03.2018–13 / 2017 दिनांक 24.04.2018।

प्रपत्र (पा०घ००प्र०) जारी करने/डाउन लोड करने के लिये आवश्यक साफ्टवेयर विकसित किया। इस साफ्टवेयर ने वर्धित प्रबन्धन सूचना पद्धति (प्र०स००प०) तथा स०द०इ० को और अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करने की प्रतिवेदन क्षमता, कर अपवंचन पकड़ने में सहायता करने और परिणामस्वरूप बड़ा राजस्व संग्रहण उपलब्ध कराना था।

मा०से०क० अधिनियम अधिनियमित होने के बाद, पा०घ००प्र० पद्धति स्वतः अप्रचलित हो गयी। अग्रेतर, अखिल भारतीय स्तर पर 31 मार्च 2018 तक मा०से०क० परिषद द्वारा कोई वैकल्पित व्यवस्था नहीं की गयी। माल के परिवहन के अनुश्रवण को मजबूती प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने अपना स्वयं का ई-वे बिल प्रारम्भ³² किया (16 अगस्त 2017)। तथापि, मार्च 2018 तक प्रणाली स्थिर नहीं किया जा सका। इस अवधि (जुलाई 2017–मार्च 2018), में सिस्टम दो अवसरों³³ पर तथा कुल मिला कर 52 दिनों की अवधि के लिये, स्थगित रहा। इस प्रकार, जुलाई 2017 और मार्च 2018 के बीच, अखिल भारत स्तर पर करयोग्य माल ढोने वाले वाहनों के संचलन के अनुश्रवण की पद्धति, जिससे कर अपवंचन का पता लगाना था, बहुत प्रभावशाली नहीं थी। राष्ट्रीय ई-वे बिल प्रणाली 1 अप्रैल 2018 से प्रारम्भ हुआ।

3.9.10 विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) की तैयारी

3.9.10.1 जी०एस०टी०एन० द्वारा आई०टी० की तैयारी

जी०एस०टी०एन० का आई०टी० प्लेटफार्म दो भागों में “फ्रन्ट इन्ड” एवं “बैक इन्ड” में विभाजित है। फ्रन्ट इन्ड कर दाताओं को यथा पंजीकरण, कर का भुगतान और विवरण जमा करना इत्यादि उपलब्ध कराता है। बैक इन्ड में कर कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के कार्य की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली आई०टी० प्रणाली से सम्बन्धित जैसे कि पंजीकरण अनुमोदन, करनिर्धारण, लेखापरीक्षा एवं प्रवर्तन, न्यायनिर्णयन, वसूली और विश्लेषण होता है। मॉडल-I विकल्प का चयन करने वाले राज्यों और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क परिषद (के०ज० एवं सी०श०प०) के लिये बैक इन्ड एप्लीकेशन का विकास उनके द्वारा किया जाना था। मॉडल-II राज्यों के लिये, बैक इन्ड एप्लीकेशन का विकास जी०एस०टी०एन० द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश ने मा०से०क० के कार्यान्वयन के लिये, मॉडल-II विकल्प का चयन किया था, बैक इन्ड एप्लीकेशन जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाताओं के विवरण की दर्शिका, वापसी की प्रक्रिया और प्रबन्धन सूचना पद्धति (प्र०स००प०) के प्रतिवेदन, इत्यादि मा०से०क० प्रशासन के प्रयोजन के लिए जी०एस०टी०एन० द्वारा विकसित किया गया।

जी०एस०टी०एन० ने इन्ट्रानेट पर एक पोर्टल बनाया है जिसके अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग (वा०क०वि०) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये, उनको अपने कार्य सीधे इस पर निष्पादित करने के लिये लागिन क्रिडेन्शियल बनाया गया है। वा०क०वि० के लिये मा०से०क० पोर्टल पर पंजीकरण और भुगतान, करदाताओं की सेवाओं से सम्बन्धित माड्यूल उपलब्ध हैं। प्र०स००प० प्रतिवेदन जैसे नामांकन प्रतिवेदनों, पंजीकरण प्रतिवेदनों, भुगतान प्रतिवेदनों एवं प्रतिदाय प्रतिवेदन भी उपलब्ध हैं। अधिकारी जी०एस०टी०एन० पोर्टल पर इन्ट्रानेट जैसे विभाग के अपने निजी सुरक्षित नेटवर्क द्वारा एक्सेस करते हैं।

कर निर्धारण प्राधिकारियों को कुछ दायित्व रा०मा०से०क० अधिनियम के अनुसार निष्पादित करना होता है। अपने दायित्व को निष्पादित करने के लिये, उनको जी०एस०टी०एन० पोर्टल पर आधिकारिक अभिलेख, प्रतिदाय की प्रक्रिया, पंजीकरण, पंजीकरण अनुमोदन, पंजीकरण कार्यस्थल निरीक्षण, न्यायनिर्णयन/प्राधिकारी, डैशबोर्ड को देखना, प्र०स००प० प्रयोगकर्ता, एलयूटी (वचनबंध पत्र) की प्रक्रिया शिकायत की प्रक्रिया, देखने के लिये भूमिकाएं आवंटित की गयी।

³² परिषत्र सं० 1028 दिनांक 27.07.2017।

³³ 01.07.2017 से 15.08.2017 तथा 02.02.2018 से 08.02.2018 तक।

जी०एस०टी०एन० द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमिका के अनुसार, करनिर्धारण अधिकारियों को केवल अपने अधिकार क्षेत्र के व्यापारियों तक एक्सेस है।

लेखापरीक्षा ने जी०एस०टी०एन० तथा आई०टी० पद्धति की स्थिति तथा क्रियात्मकता पर वा०क०वि० से सूचनाएं प्राप्त किया और निम्नलिखित रिक्तता / कमियाँ पायीं पायीं।

- (i) करनिर्धारण प्राधिकारियों के साथ व्यापारियों की मैपिंग: करनिर्धारण प्राधिकारियों के साथ प्रवर्जित व्यापारियों के मैपिंग का कार्य फरवरी 2019 तक पूर्ण हुआ जो खुद में मैपिंग के प्रक्रिया की देरी का खुलासा करता है। व्यापारियों पर सीमांकित क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति में करनिर्धारण प्राधिकारियों की दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभाग (सितम्बर 2019) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

- (ii) जी०एस०टी०एन० प्रणाली में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) कार्यालयों को शामिल करने में विलम्ब: ज्वा०कमि० (कार्पोरेट सर्किल) को विशिष्ट क्षेत्र के शीर्ष स्तर के व्यापारियों के करनिर्धारण की जिम्मेदारी दी गयी थी। परन्तु इन कार्यालयों को इस राज्य के जी०एस०टी०एन० के मास्टर में जी०एस०टी०एन० द्वारा केवल दिसम्बर 2018 में शामिल किया गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन कार्यालयों के अधिकारियों ने, जी०एस०टी०एन० पोर्टल का एक्सेस नहीं किया तथा ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिये दिसम्बर 2018 से समर्थ हो सके थे।

विभाग (सितम्बर 2019) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

- (iii) जी०एस०टी०एन० का अस्थिरीकरण तथा विभाग द्वारा आई०टी० सम्बन्धी पहल: जी०एस०टी०एन० अभी भी अनुप्रयोग विकसित कर रहा है तथा मा०से०क० के कार्यान्वयन के 22 माह³⁴ व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अस्थिर है। चूंकि, उत्तर प्रदेश मॉडल II राज्य है, जी०एस०टी०एन० को सभी बैंक इन्ड माड्यूल (करनिर्धारण, प्रतिदाय, प्रवर्तन आदि) विकसित करने की आवश्यकता थी। प्रारम्भिक रूप से जी०एस०टी०एन० ने डेटा को समेकित स्वरूप में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया एवं विभाग को अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रतिवेदन विकसित करना था। प्रतिदाय माड्यूल अभी भी परिचालन में नहीं है। इसलिए, मा०से०क० कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिये, विभाग की आई०टी० शाखा ने कुछ पद्धतियाँ तथा माड्यूल³⁵ विकसित किये हैं।

विभाग ने लेखापरीक्षा के प्रेक्षण को स्वीकार किया (सितम्बर 2019) और कहा कि प्रारम्भिक अवस्था में मा०से०क० परिषद द्वारा कई बदलाव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप माड्यूल के स्थिरीकरण में विलम्ब हुआ, अनुप्रयोग एवं समाधान विकसित हो रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुप्रयोगों/समाधानों को विकसित किया जा रहा है और चलाया जा रहा है। मा०से०क० प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है। समय-समय पर बाब वेब पोर्टल पर प्र०सू०प० प्रतिवेदन उपलब्ध है। अब तक 51 प्र०सू०प० प्रतिवेदन जी०एस०टी०एन० द्वारा उपलब्ध करायी गई हैं। वर्तमान में प्रतिदाय की प्रक्रिया आनलाइन उपलब्ध नहीं है तथा करदाताओं का एचएसएन वार प्रतिवेदन जी०एस०टी०एन० द्वारा अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

³⁴ अप्रैल 2019 तक।

³⁵ (i) व्यापारी अनुश्रवण पद्धति: परिचालन विविध डेशबोर्ड के साथ एकल विच्छो, पंजीकरण की स्थिति, व्यापारियों की प्रोफाइल, दाखिल/न दाखिल करने की स्थिति, प्रतिदाय की स्थिति और वसूली की स्थिति, सूचनाओं/आदशों को अनुमन्य करना उपलब्ध करता है। (ii) आनलाइन सचल दल प्रबन्धन पद्धति: पद्धति विभाग के सचलदल इकाइयों की वास्तविक समय गतिविधियों के अनुश्रवण के लिये अनुमन्य करती है। विशेष अनुसंधान शाखा (वि०अनु०शा०) मामलों की करीब से निगरानी के लिये वि०अनु०शा० प्रबन्धन पद्धति स्थापित है।

विभाग का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि जी0एस0टी0एन0 स्थिर नहीं हुआ है।

(iv) **वैधानिक कर्तव्यों के अनुसार भूमिका:** प्रारम्भिक अवस्था में विभाग ने विशिष्ट सवाल का उत्तर नहीं दिया कि क्या विभागीय अधिकारियों को उनके वैधानिक कर्तव्यों को निष्पादन करने के लिये निर्धारित की गयी भूमिका उनकी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है।

विभाग ने अपने अन्तिम उत्तर (सितम्बर 2019) में कहा कि जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की भूमिका के कार्यान्वयन में समय लग सकता है।

विभाग ने अपने उत्तर में समय सीमा जिसमें इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी को इंगित नहीं किया।

इस प्रकार मा0से0क0 कार्यान्वयन के प्रारम्भिक अवधि के दौरान कर निर्धारण अधिकारियों के साथ व्यापारियों की मैपिंग में विलम्ब, ज्वा0कमि0 (कार्पोरेट) के कार्यालय दिसम्बर 2018 तक सृजन न होना और विभिन्न स्तर के करनिर्धारण अधिकारियों के लिये अलग अलग भूमिका उपलब्ध न कराना, आदि कारणों से वा0क0वि0 के अधिकारियों के लिये अपने दिन प्रतिदिन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से करना सम्भव नहीं था।

3.9.10.2 हार्डवेयर एवं नेटवर्क सुरक्षा की उपलब्धता

विभाग द्वारा (30 अप्रैल 2019) उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, विभाग ने सभी उपलब्ध 2,433 अधिकारियों³⁶ को 2,433 टर्मिनल और 4,064 अधीनस्थ कर्मचारियों³⁷ के बीच 3,051 टर्मिनल उनको अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिये आवंटित किये। जी0एस0टी0एन0 से सम्बद्ध सभी टर्मिनल/कम्प्यूटर, इन्ट्रानेट से, जैसे विभाग के निजी सुरक्षित नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं। जबकि वे, खुली इन्टरनेट लाइनों से भी जुड़े हैं जो नेटवर्क की सुरक्षा के साथ समझौता है और डेटा के लिये खतरा/भेद्यता की पर्याप्त गुंजाइश छोड़ता है।

विशेष सवाल के उत्तर में विभाग ने कहा कि टर्मिनलों/कम्प्यूटरों यूटीएम³⁸ फायरवाल गेटवे युक्त द्वारा आवश्यक सुरक्षा नीति और प्रतिबन्धों के साथ सम्बद्ध हैं। विभाग ने अवांछित डेटा को प्रतिबन्धित करने और छानने तथा यातायात को रोकने के लिये एक्सेस नियंत्रण सूची लागू किया है तथा डेटा सुरक्षा नीति के लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं, बाह्य ड्राइव को प्रतिबन्धित करने के लिये कदम उठाये और इस प्रकार के टर्मिनलों/कम्प्यूटरों की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एन्टीवाइरस डीएलपी³⁹ समाधान और फाइल एनक्रिप्शन विकसित किया गया।

विभाग द्वारा इस प्रकार के कदम उठाये जाने के बावजूद, कम्प्यूटरों/टर्मिनलों की जी0एस0टी0एन0 की सुरक्षित सीमा और साथ ही खुली इन्टरनेट लाइनों से संबद्धता नेटवर्क को आक्रमण हेतु भेद्य बनाता है।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2019) में कहा कि यह नीतिगत मामले से सम्बन्धित है अतः कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।

विभाग को इस तथ्य को ध्यान में रखने की आवश्यता है कि आई0टी0 पद्धतियाँ, जिन पर जी0एस0टी0एन0 डेटाबेस ऐक्सेस है उसे सुरक्षित होना चाहिये। जी0एस0टी0एन0 डेटा गोपनीय एवं गम्भीर प्रकृति के होने के कारण, असुरक्षित नेटवर्क से

³⁶ सभी कार्यकारी प्राधिकारियों एवं कर निर्धारण प्राधिकारियों।

³⁷ वरि0 प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, सहायक सार्थियकी अधिकारी, लेखाकार, कम्प्यूटर संचालक।

³⁸ यूनीफाइड थीट मैनेजमेंट।

³⁹ डाटा लास प्रिवेंशन।

जी०एस०टी०एन० डेटा को संचालित करने वाली आई०टी० पद्धतियों के अनावरण से, डेटा की अखंडता, विश्वसनीयता और उपलब्धता के लिये गम्भीर खतरा हो सकता है।

3.9.11 जीएसटी का कार्यान्वयन

मा०से०क० के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा महसूस किये गये मुख्य मुद्दे/चुनौतियाँ पंजीकरण, प्रव्रजन, करदाताओं के आबन्टन, विवरणियाँ दाखिल करना, कर का भुगतान, ट्रांजिशनल क्रेडिट, प्रतिदाय आदि हैं। राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से बनाये गये विनियमों तथा नियमों में परिवर्तनों के साथ इन मुद्दों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित प्रस्तरों में इन पर संक्षेप में चर्चा की गयी है:

3.9.11.1 करदाताओं का पंजीयन

किसी पूर्व-मा०से०क० विधियों के अन्तर्गत पंजीकृत और वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक प्रत्येक व्यक्ति को अनन्तिम आधार पर पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाना था। तत्पश्चात निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर अन्तिम पंजीयन प्रमाणपत्र देना था। अग्रेतर, निर्धारित सीमा ₹ 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को मा०से०क० के अन्तर्गत पंजीयन लेना था।

(i) वाणिज्य कर विभाग में विद्यमान करदाताओं का प्रव्रजन

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 24 के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, या विद्यमान विधि के अधीन पंजीकृत और स्थाई खाता संख्या रखने वाले इनपुट सेवा वितरक को, अपने ई-मेल पते और मोबाइल संख्या को विधिमान्यकृत करते हुये, सामान्य पोर्टल पर सीधे या कमिशनर द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से नामांकित कराना होगा। नामांकित किये जाने पर, कथित व्यक्ति को अनन्तिम आधार पर पंजीयन प्रदान किया जायेगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसे अनन्तिम पंजीयन प्रदान किया गया हो, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित आवेदन पत्र विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, सामान्य पोर्टल पर तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यदि सूचना पूर्ण व सही पायी गयी तो, पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

किन्हीं विद्यमान विधियों में से किसी विधि के अधीन पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत किये जाने के लिये दायी नहीं है, अपने विकल्प पर स्वयं, को प्रदान किये गये पंजीयन के रद्दीकरण के लिये नियत तिथि से तीस दिन के भीतर, आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा, और उचित अधिकारी ऐसी जाँच संचालित करने के पश्चात जैसा कि वह उचित समझे, उक्त पंजीयन को रद्द कर सकेगा।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के आधार पर, वाणिज्यकर विभाग में विद्यमान व्यापारियों का अनन्तिम और स्थायी रूप से पंजीयन की स्थिति सारिणी 3.15 में दी गयी है।

**सारिणी 3.15
व्यापारियों का प्रव्रजन**

विद्यमान मू०से०क० व्यापारियों की कुल संख्या	जीएसटीएन से प्राप्त अनन्तिम आईडी की कुल संख्या	प्रारम्भिक रूप से नामांकित व्यापारियों की संख्या (कालम-2 के सापेक्ष प्रतिशत)	व्यापारियों की संख्या जिन्हें पूर्ण रूप से नामांकन प्रदान किया गया था (कालम-3 के सापेक्ष प्रतिशत)	अन्तिम रूप से प्रव्रजित नहीं हुये व्यापारियों की संख्या
1	2	3	4	5
8,31,694	9,84,206	9,09,323 (92.39 प्रतिशत)	7,23,978 (79.62 प्रतिशत)	1,85,345 (20.38 प्रतिशत)

(स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)।

जी०एस०टी०एन० से प्राप्त अनन्तिम आईडी विद्यमान मू०सं०क० व्यापारियों की संख्या से 1,52,512 अधिक है जो यह इंगित करता है कि इसमें मू०सं०क० के व्यापारियों के साथ साथ अन्य सम्मिलित कर भी शामिल हैं। कुल योग में से, 92.39 प्रतिशत विद्यमान व्यापारियों ने प्रारम्भिक पंजीयन पूर्ण करवा लिया है। यहाँ तक कि, जो प्रारम्भिक रूप से नामांकित थे, उनमें से मात्र 79.62 प्रतिशत प्रब्रजन तकनीक अपनाते हुये अन्तिम रूप से मा०से०क० में पंजीकृत हुये। शेष 20.38 प्रतिशत व्यापारी प्रब्रजित नहीं हुये।

विभाग विभिन्न कारणों से प्रब्रजित न करने वाले व्यापारियों की संख्या पृथक रूप से उपलब्ध नहीं करा सका, जैसे कि—

- (क) निर्धारित सीमा में वृद्धि,
- (ख) अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण,
- (ग) करारोपण के दायी नहीं थे या मा०से०क० में पूर्ण रूप से करमुक्त थे,
- (घ) प्रब्रजन के योग्य थे पर इसके लिये आवेदन नहीं किये,
- (ङ) वे जो अन्य किन्हीं कारणों से प्रब्रजित नहीं हुये।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि प्रब्रजित न होने वाले व्यापारियों की डाटा पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है। निर्धारित सीमा की वृद्धि ₹ 20 लाख तक हो जाने के कारण, मा०से०क० से पहले और बाद के प्रब्रजित व्यापारियों की संख्या में वृद्धि अन्तर आया है जो कि स्वाभाविक है। कुछ वस्तुओं के मा०से०क० में करमुक्त होने के कारण भी प्रब्रजन प्रभावित हुआ है जो कि पहले कर योग्य थीं और विलोमतः। विभाग के प्रयास के द्वारा ही कर आधार में वृद्धि हुई। यह बताया गया कि 31 अगस्त 2019 तक मा०से०क० व्यापारियों की कुल संख्या बढ़कर 14.88 लाख हो गयी।

विभाग का उत्तर इंगित करता है कि वे 20.38 प्रतिशत विद्यमान करदाताओं के पूर्ववर्ती अधिनियम से मा०से०क० व्यवस्था में प्रब्रजन न करने के कारणों का पूर्ण रूप से समाधान करने में सक्षम नहीं हैं।

(ii) केन्द्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

(क) वाणिज्य कर विभाग एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के विद्यमान पंजीकृत करदाता:

मा०से०क० परिषद की अनुशंसा के अनुसार, ₹ 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले विद्यमान करदाताओं का, 90 प्रतिशत तथा ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले विद्यमान करदाताओं का, 50 प्रतिशत राज्य को आवंटित किये गये। तदनुसार, 6,31,521 विद्यमान पंजीकृत करदाताओं (अप्रैल 2019) का अधिकार क्षेत्र राज्य को आवंटित किया गया जैसा कि विस्तृत व्यौरा सारणी 3.16 में दिया गया है।

सारणी 3.16 केन्द्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

	विद्यमान पंजीकृत करदाता		योग
	₹ 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर	₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर	
राज्य	41,619	5,89,902	6,31,521
केन्द्र	41,621	65,547	1,07,168
योग	83,240	6,55,449	7,38,689

(स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा अप्रैल 2019 तक अद्यतनीकृत उपलब्ध कराई गयी सूचना)।

(ख) नये करदाता:

मा०से०क० पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से केन्द्र और राज्य के बीच नये पंजीकृत करदाताओं के अधिकार क्षेत्र का आवंटन करदाताओं द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन करने के दौरान किया जाता है। राज्य के अधिकार क्षेत्र में 31 मार्च 2018 को नये पंजीकृत व्यापारियों की स्थिति का विवरण सारणी 3.17 में दिया गया है।

सारणी 3.17
नये करदाता

31 मार्च 2018 तक प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
6,05,924	18,068	5,58,312	29,544

(चोट: वाणिज्य कर विभाग द्वारा अप्रैल 2019 तक अद्यतनीकृत उपलब्ध कराई गयी सूचना)।

31 मार्च 2018 तक कुल, 29,544 आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर पंजीयन हेतु लम्बित थे।

3.9.11.2 विवरणी दाखिल करना एवं कर का भुगतान

उत्तर प्रदेश मा० एवं से० को नियमावली 2017 के नियम 59 से 61 तक के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल एवं सेवा या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में, माल एवं सेवा या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-2 में एवं जीएसटीआर-3 में मासिक विवरण (जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-2 में भरे गये विवरण के आधार पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रणाली द्वारा तैयार) प्रस्तुत करेंगे, जबकि समाधान के करदाताओं को जीएसटीआर-4 में त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना था। अग्रेतर, ₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटीआर-1 में त्रैमासिक रूप से विवरण दाखिल करना था।

नयी कर व्यवस्था के प्रारम्भिक अवस्था में करदाताओं के समक्ष उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये विवरणियों के दाखिल करने के निर्धारित तरीके में सुधार किया गया है। जीएसटीआर-2 व जीएसटीआर-3 को दाखिल करने को स्थगित कर दिया गया था तथा सभी करदाताओं को जीएसटीआर-3बी में एक साधारण मासिक विवरण अगले अनुवर्ती माह की 20 तारीख तक कर का भुगतान करते हुये प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया।

देय कर के भुगतान के पश्चात मासिक विवरण जीएसटीआर-3बी तथा त्रैमासिक विवरण जीएसटीआर-4 में प्रस्तुत करना था। अतः, करदाताओं द्वारा समयानुसार कर के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये इन विवरणियों की निगरानी जरूरी थी।

जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिये विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं (अप्रैल 2019) से यह ज्ञात हुआ कि प्रान्त में 8,07,861 पंजीकृत व्यापारियों में से, जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के लिये 5,95,631 करदाताओं को जीएसटीआर-3बी दाखिल करना था जिसके विरुद्ध 5,72,002 (96.03 प्रतिशत) व्यापारियों ने अपने मासिक विवरण जीएसटीआर-3बी दाखिल किये। शेष 23,629 करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किये। अग्रेतर, 2,12,230 समाधान के व्यापारियों को अपने विवरण जीएसटीआर-4 में दाखिल करना था जिसके विरुद्ध केवल 1,96,738 (92.70 प्रतिशत) ने अपने त्रैमासिक विवरण दाखिल किये। इस प्रकार 15,492 समाधान के व्यापारियों ने अपने जीएसटीआर-4 दाखिल नहीं किये।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि विवरणी दाखिल न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्यालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियमित रूप से अनुदेश जारी करता रहा है। आगे यह भी बताया कि फील्ड अधिकारी विवरणी दाखिल न करने वालों की नियमित रूप से निगरानी करते रहे हैं, जिसके कारण विवरणी दाखिल करने की स्थिति तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में बेहतर है। यह भी अवगत कराया कि जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-4 सम्बन्धी विवरण दाखिल करने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। शत-प्रतिशत विवरणी दाखिल न किये जाने का मुख्य कारण विभाग ने बताया कि नये मा०से०को प्रणाली से व्यापारी अभी भी अवगत हो रहे हैं। मा०से०को पोर्टल के यूजर इन्टरफ़ेस में आने वाली कठिनाइयों ने भी शत-प्रतिशत विवरणी दाखिले को प्रभावित किया। व्यापारियों की समस्याओं के संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा उसे ठीक किया जा रहा है। विवरणियों के दाखिले में

वृद्धि के लिये, विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करते हुये उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। मा०से०क० के अधिनियमों और नियमावली के प्रावधानों के तहत् विवरणियाँ दाखिल न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती रही है।

विभागीय उत्तर से स्पष्ट होता है कि करदाताओं द्वारा विवरणियाँ दाखिल करने में, अन्तर विद्यमान है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.9.11.3 जी०ए०स०टी०ए०न० पर अन्तर्राज्यीय आई०टी०सी० के सत्यापन की कोई पद्धति नहीं

एक पंजीकृत व्यक्ति ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति के लिये उस पर प्रभारित क्रेडिट टैक्स लेने का हकदार होगा जिसका उसके व्यापार के दौरान उपयोग किया जाता है। उक्त रकम ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाती है।

मालों/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के आधार पर आई०टी०सी० अर्जित होता है। पंजीकृत व्यापारी के अन्तर्राज्यीय संव्यवहार की स्थिति में जहाँ आपूर्तिकर्ता दूसरे राज्य में पंजीकृत हों, उक्त संव्यवहार पर राज्य के कर निर्धारण प्राधिकारियों को ऐक्सेस की उपलब्धता नहीं है। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावा की गयी आई०टी०सी० की शुद्धता पर निगरानी रखने के लिये इसका स्वतन्त्र सत्यापन आवश्यक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि करनिर्धारण प्राधिकारी के पास आई०टी०सी० सत्यापन हेतु यदाकदा अनुरोध करने की स्थिति पर दूसरे राज्य के मा०से०क० प्राधिकारियों द्वारा इस आशय हेतु उपलब्ध कराये गये सूचनाओं पर भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

अन्तर्राज्यीय आई०टी०सी० सत्यापन के सम्बन्ध में, जी०ए०स०टी०ए०न० पोर्टल पर ऐक्सेस न होने की स्थिति में वाणिज्य कर विभाग द्वारा अपने अधिकारियों के लिये इस आशय हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं बनाया गया है।

इस प्रकार अन्तर्राज्यीय आई०टी०सी० सत्यापन के अभाव में आई०टी०सी० के गलत दावों की सम्भावना हो सकती है, जिसका उपयोग देयकर के समायोजन अथवा अप्रयुक्त अवशेष इनपुट टैक्स क्रेडिट के वापसी के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार, सरकारी खजाने की क्षति से इन्कार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि जीएसटीआर-01 व्यापारियों के द्वारा भरा जाता है। यद्यपि, जीएसटीआर-2 स्थगित है, विक्रेता के जीएसटीआर-01 की प्रविष्टियाँ प्राप्त करने वाले के जीएसटीआर-2ए में स्वतः प्रदर्शित होता है, जो कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आई०टी०सी० प्रदान किये जाने से पहले सत्यापित किया जाता है।

विभागीय उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर-2 में व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली सूचनायें आई०टी०सी० अर्जन की शुद्ध गणना हेतु आवश्यक है। एक बार आई०टी०सी० की ग्राह्यता की जाँच हो जाये उसके बाद ही सही वापसी हो सकती है। अग्रेतर, दिनांक 26 जून 2019 के परिपत्र⁴⁰ से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में जी०ए०स०टी०ए०न० द्वारा राज्य प्राधिकारी को अन्य राज्यों के व्यापारियों के अभिलेख देखने का ऐक्सेस प्रदान नहीं किया गया था। यहाँ तक कि, अब भी, जून 2019 से केवल वरिष्ठ अधिकारियों⁴¹ को ही “पूरे भारत वर्ष के अभिलेख” देखने का अधिकार सब स्टेट एडमिन द्वारा कर के अपवंचन की जाँच के मामले सत्यापन तथा नये पंजीकरण मामले से पहले प्रारम्भिक जाँच के उद्देश्य के लिये प्रदान किया गया है।

⁴⁰ आईटी सब-स्टेट एडमिन / 2019-20 / 678 / 1920028 / वाणिज्य कर दिनांक 26 जून 2019।

⁴¹ एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-I और II, ज्याकमि० (कार्यपालक), ज्याकमि० (टैक्स आडिट), ज्याकमि० (एसआईबी), ज्याकमि० (कार्पोरेट सर्किल), सचल दल, एसआईबी तथा खण्ड के अधिकारीगण।

संस्तुति:

आई0टी0सी0 सत्यापन के नियमन हेतु विभाग उपयुक्त विधि और दिशा निर्देश तैयार करें।

3.9.12 विरासती मामले

लेखापरीक्षा में निर्धारण, बकाया वसूली तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरणों के विरासती मामलों को देखा गया। लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित खण्डों में संक्षेपित किया गया है।

3.9.12.1 मू0सं0क0 मामलों के निर्धारण

मा0से0क0 के कार्यान्वयन होने से पहले व्यापारी उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 एवं के0बि0क0 अधिनियम 1956 तथा अन्य लघु कर जैसे विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि के अन्तर्गत पंजीकृत रहे।

मा0से0क0 अवधि के पहले के सभी कर से सम्बन्धित कर निर्धारण तथा अन्य मामले वा0क0वि0 के अधिकारियों द्वारा व्यास⁴² सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर आनलाइन संभाला जाता रहा है। वर्ष 2016–17 के वादों के निस्तारण से सम्बन्धित वा0क0वि0⁴³ द्वारा जारी परिपत्र (अप्रैल 2019) के अनुसार, वर्ष 2016–17 के वादों के डीम्ड के रूप में आनलाइन चिह्नित किये जाने की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2019 थी। ₹ 50 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के वादों को कर निर्धारण हेतु रिस्क पैरामीटर के आधार पर आनलाइन चिह्नित किया जाना था। यह 31 मई 2019 तक पूर्ण होना था। वर्ष 2016–17 के अन्य लम्बित वादों के कर निर्धारण पूर्ण किये जाने की अन्तिम तिथि व0क0वि0 द्वारा 31 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाया गया है। वर्ष 2017–18 (मू0सं0क0 अवधि— अप्रैल 2017 से जून 2017) के मू0सं0क0 कर निर्धारण पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि मू0सं0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2017–18 के मू0सं0क0 कर निर्धारण को पूर्ण करने की नियत तिथि मार्च 2021 है लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारियों को वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के वादों को वर्ष 2019–20 में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश जारी किया गया है।

3.9.12.2 घोषणा पत्रों के अनुश्रवण की कोई पद्धति नहीं

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (के0बि0क0), 1956 की धारा 6 एवं धारा 8 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी उत्तर प्रदेश प्रान्त के बाहर से टर्नओवर के दो प्रतिशत की कर की रियायती दर से विक्रेता व्यापारी को प्रारूप 'सी' में घोषणा पत्र जारी करते हुये माल खरीद सकता है।

अग्रेतर, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (के0बि0क0), 1956 की धारा 6ए के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी अपने व्यापार स्थल के किसी अन्य स्थान से प्रान्त के बाहर से या प्रान्त के बाहर अपने एजेन्ट या प्रिंसिपल से घोषणा पत्र 'एफ' जारी करते हुये बिना कर के भुगतान किये वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है।

फार्म 'सी' एवं 'एफ' विभाग से प्राप्त किये जाते हैं।

मा0से0क0 अधिनियमित होने के पश्चात के0बि0क0 अधिनियम की धारा केवल गैर-मा0से0क0 वस्तुओं पर लागू है जिसके लिये प्रपत्र विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

⁴² वाणिज्य कर आटोमेशन प्रणाली— मू0सं0क0 वादों के वार्षिक कर निर्धारण की समय सीमा निर्धारित है इसलिये वर्तमान में पूर्व जीएसटी (मू0सं0क0) वादों के कर निर्धारण तथा अन्य कार्य यथा बकाया वसूली एवं वापसी आदि की कार्यवाही व्यास पर की जा रही है।

⁴³ सं0 सीसीटी/निरीक्षण अनुभाग / (2019–20) / 1920006 / 54 / वाणिज्य कर दिनांक 11 अप्रैल 2019।

चैंकि दोनों ही घोषणा पत्रों से काफी अधिक कर की रियायत/करमुक्ति का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुमन्यता से अधिक ऐसे प्रपत्र का उपयोग न कर लिये जायें।

मा०से०क० कार्यान्वित होने के बाद की तिथि से विभाग के पास पड़े घोषणा प्रपत्रों का स्टाक, मू०सं०क० व्यापारियों को जारी किया गया प्रपत्र तथा मू०सं०क० व्यापारियों के पास अवशेष प्रपत्र से सम्बन्धी सूचनायें लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से माँगा गया। विभाग ने बताया कि ऐसे प्रपत्र अभी भी व्यापारियों को पूर्व मा०से०क० संव्यवहारों के लिये जारी किये जा रहे हैं, मा०से०क० पश्चात अवधि में मू०सं०क० के पंजीकृत व्यापारियों के पास उपलब्ध प्रपत्र 'सी' और 'एफ' की समग्र सूचना उपलब्ध करा पाना विभाग के लिये सम्भव नहीं है।

इलाहाबाद⁴⁴ के दो खण्डों की समीक्षा से यह पता चला कि

(i) मू०सं०क० व्यापारियों के पास पड़े शेष प्रपत्र से सम्बन्धी कोई डाटा बेस नहीं बनाया गया है।

(ii) कर निर्धारण प्राधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि मा०से०क० के पश्चात व्यापारियों द्वारा खण्डों को प्रपत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

(iii) व्यापारियों के द्वारा प्रयुक्त किये गये प्रपत्रों की जाँच उनके द्वारा घोषित किये विवरणों से कर निर्धारण के समय ही केवल की जाती है।

इस प्रकार, व्यापारियों के द्वारा प्रयुक्त किये गये प्रपत्रों की कोई जाँच कर निर्धारण प्राधिकारी के स्तर पर नहीं की जाती है।

यह स्पष्ट रूप से व्यापारियों के पास अवशेष प्रपत्रों की संख्या अथवा उनके उपयोग सम्बन्धी सत्यापन के लिये विभाग में किसी तंत्र की कमी को इंगित करता है। इसके, परिणामस्वरूप घोषण पत्रों का गलत उपयोग हो सकता है, अग्रेतर, जिसका परिणाम बड़ी राशि की गलत रियायती कर/करमुक्ति हो सकता है।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2019) में बताया कि घोषणा प्रपत्र के स्टाक व डेटाबेस के रखरखाव की पुरानी व ठोस पद्धति है। नये प्रपत्र जारी करते समय पूर्व में प्रयुक्त घोषणा पत्रों का व्यौरा प्राप्त किया जाता है। अग्रेतर, टर्नओवर के निर्धारित सीमा से ऊपर के व्यापारियों को आनलाइन प्रपत्र जारी करने की व्यवस्था है।

विभाग की टिप्पणी अति सामान्य है तथा कोई विशिष्ट व्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया, उदाहरण के लिए:-

(i) जून 2017, मार्च 2018 तथा मार्च 2019⁴⁵ के अन्त में प्रिंटिंग प्रेस में कितने फार्म उपलब्ध थे, इसका कोई डेटाबेस विभाग के पास नहीं है।

(ii) उ०प्र०⁴⁶ के पंजीकृत मू०सं०क० व्यापारियों के पास अभी भी कितने प्रपत्र अवशेष हैं इसका कोई डेटाबेस विभाग के पास नहीं है।

(iii) विभाग यह बता नहीं पा रहा था कि जून 2017 तक व्यापारियों के पास के अवशेष समस्त प्रपत्र उनके⁴⁷ द्वारा अभ्यर्पित किये गये की नहीं।

(iv) घोषणा पत्रों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में, विभाग ने बताया⁴⁸ कि कर निर्धारण के समय घोषणा पत्रों का व्यौरा प्राप्त कर मिलान कर सुनिश्चित किया जाता है कि इनका दुरुपयोग नहीं हुआ है।

⁴⁴ खण्ड 7 एवं 10, इलाहाबाद।

⁴⁵ विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

⁴⁶ विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

⁴⁷ विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत केवल ब्यौरे के आधार पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, कि प्रपत्रों का दुरुपयोग नहीं हुआ है। कर निर्धारण से पूर्व माल और मूल्य जिसके लिये प्रपत्र जारी किया गया है, का सत्यापन अन्य प्रान्त के व्यापारियों की विवरणियों (प्रपत्रों के प्राप्तकर्ता) से किया जाना आवश्यक है।

(v) जून 2017⁴⁹ के बाद व्यापारियों द्वारा कितनी संख्या में प्रपत्र का मू०स०क० अवधि में उपयोग किया गया, विभाग के पास इसका कोई डेटाबेस नहीं है।

(vi) मा०स०क०⁵⁰ के उपरान्त के०बि०क० में माल की नयी परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले माल की मा०स०क० अवधि में संव्यवहार के लिये कितनी संख्या में फार्म जारी किये गये, इसका डेटाबेस विभाग के पास नहीं था।

विभाग उपरोक्त मामलों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करा सका, यह लेखापरीक्षा के अभिमत को स्पष्ट रूप से साबित करता है कि जारी प्रपत्रों के उपयुक्त सत्यापन व अनुश्रवण हेतु विभाग के पास तंत्र की कमी थी।

3.9.13 निष्कर्ष

सारांश में, मा०स०क० को कार्यान्वित करने की तैयारी में विभाग अग्रणी था, जैसा कि मा०स०क० परिषद द्वारा अनुमोदित मॉडल कानून के अन्तर्गत अधिनियम और नियमों को अधिनियमित करने में और विद्यमान करदाताओं के प्रारम्भिक नामांकन को संचालन करने वाले नियम, क्षमता निर्माण के प्रयास आदि में देखा जा सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मा०स०क० परिषद की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से अधिनियमों/नियमों में बार-बार परिवर्तन किया गया जिसके कारण रा०मा०स०क० के बहुत सारी निर्धारित क्रियाविधियाँ गैरकार्यान्वित रहीं।

जी०एस०टी०एन० पूर्ण रूप से आई०टी० समाधान उपलब्ध कराने में विफल रहा, परिणामस्वरूप कर निर्धारण प्राधिकारी अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निष्पादित नहीं कर पाये।

जैसा कि जी०एस०टी०एन० द्वारा वाणिज्य कर विभाग को अन्तर्राज्यीय व्यापारियों से सम्बन्धित अभिलेखों की ऐक्सेस उपलब्ध न कराने के कारण अन्तर्राज्यीय व्यापारियों के आई०टी०सी० का सत्यापन विभाग द्वारा आनलाइन नहीं किया जा सका। गलत आई०टी०सी० के दावों की सम्भावना, उसका देय कर के रूप में उपयोग तथा अप्रयुक्त आई०टी०सी० के गलत चित्रण के कारण वापसी की माँग के निपटारे के रूप में उसका दुरुपयोग हो सकता है जिससे सरकारी खजाने की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता।

विरासती मामलों जैसे मा०स०क० पूर्व के निर्धारण के समयबद्ध तरीके से शीघ्र निपटारे की आवश्यकता है जिससे कि मा०स०क० पूर्व के लम्बित राजस्व की वसूली शीघ्रता पूर्वक किया जा सके और अधिकारी केवल मा०स०क० पर ध्यान केन्द्रित कर सके।

व्यापारियों के विलम्बित मैपिंग तथा जी०एस०टी०एन० के अधूरे समाधान के कारण अधिकारियों के दैनिक कार्य बाधित हुये।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वा०क०वि० अभी तक राज्य में मा०स०क० लागू करने के लिये पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था।

⁴⁸ विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

⁴⁹ विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

⁵⁰ विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।